संख्याः 11/2020/155 ई-2/तेरह-2020-01/2020

प्रेषक,

संजय आर. भूसरेड्डी
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक **24** जनवरी, 2020

विषय: - वर्ष 2020-21 के लिये आबकारी नीति के निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-200/दस लाइसेंस/367 सुझाव आबकारी नीति वर्ष 2020-2021, दिनांक 31.12.2019, पत्र संख्या-जी-209 और 210/दस-लाइसेंस-367/सुझाव आबकारी नीति/2020-21, दिनांक 03.01.2020 एवं पत्र संख्या-जी-217/दस-लाइसेंस-367/सुझाव आबकारी नीति/2020-21, दिनांक 18.01.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्रों के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त प्रदेश के राजस्व एवं जनहित के दृष्टिगत वर्ष 2020-21 के लिये आबकारी नीति का निम्नवत् निर्धारण करने का निर्णय लिया गया है-

2.1 देशी मदिरा

2.1.1 फुटकर दुकानों हेतु आवेदन की प्रोसेसिंग फीसः-

वर्ष 2020-21 हेतु प्रोसेसिंग फीस रु.20,000/- प्रति आवेदन पत्र निर्धारित की जाती है।

2.1.2 देशी मदिरा की श्रेणियां तथा गुणवत्ता:-

वर्ष 2019-20 में देशी मदिरा की तीव्रता के आधार पर निम्नानुसार तीन श्रेणियां प्रचलित हैः-

(1) 42.8 प्रतिशत वी./वी. (मसाला)
(2) 36 प्रतिशत वी./वी. (मसाला)
(3) 25 प्रतिशत वी./वी. (सादा व मसाला)

वर्ष 2020-21 में भी उपरोक्त श्रेणियों में मदिरा की आपूर्ति की व्यवस्था यथावत् रहेगी।

देशी मदिरा की तीव्रता की उपरोक्त तीनों श्रेणियों के लिये वर्ष 2019-20 की भांति वर्ष 2020-21 हेतु आबकारी आयुक्त, उ.प्र. की स्वीकृति से भिन्न-भिन्न रंगों के कैप्स व लेबुलों के बार्डर निर्धारित प्रतिबंधों के साथ बनाये रखे जाएंगे।

वर्ष 2019-20 की भांति वर्ष 2020-21 हेतु प्रदेश में केवल एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ई.एन.ए.) से निर्मित देशी मदिरा का विक्रय किया जाएगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2.1.3 देशी मदिरा का एम.जी.क्यू.(न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा/Minimum Guaranteed Quantity):-

(i) वर्ष 2020-21 हेतु वर्ष 2019-20 के व्यवस्थित एम.जी.क्यू. पर 10 प्रतिशत की वृद्धि अथवा वास्तविक उपभोग पर 2 प्रतिशत की वृद्धि कर जो अधिक हो, देशी मदिरा दुकान का एम.जी.क्यू. निर्धारित किया जाएगा। इस प्रयोजनार्थ वर्ष 2019-20 के वार्षिक उपभोग का आंकलन माह अप्रैल, 2019 से दिसम्बर, 2019 तक हुये उपभोग को समानुपातिक आधार पर बढ़ाते हुये किया जायेगा। यदि दुकान मध्य सत्र में संचालित हुयी है तो वर्ष 2019-20 में दुकान की संचालन अवधि में हुये उपभोग को समानुपातिक आधार पर बढ़ाते हुये किया जायेगा। इस प्रकार वर्ष 2020-21 हेतु प्रदेश का प्रस्तावित न्यूनतम एम.जी.क्यू. 48.00 करोड़ बल्क लीटर आगणित होता है।

(ii) उपरोक्तानुसार आगणित दुकानवार वार्षिक एम.जी.क्यू. के 12 से पूर्णतः विभाजित न हो सकने की स्थिति में इसे अगली संख्या तक, जो 12 से विभाज्य हो, बढ़ा कर निर्धारित किया जायेगा। इस प्रकार आगणित एम.जी.क्यू. दुकान का वर्ष 2020-21 के लिये वार्षिक एम.जी.क्यू. होगा।

(iii) नवसृजित दुकानों का एम.जी.क्यू.प्रस्तर-5.1.9 में प्रस्तावित न्यूनतम एम.जी.क्यू. से कम नहीं होगा तथा इस संबंध में प्रचलित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का पालन किया जायेगा ताकि किसी अन्य दुकान का क्षेत्राधिकार प्रभावित न हो एवं निर्धारित एम.जी.क्यू. युक्तिसंगत हो। यह एम.जी.क्यू.36 प्रतिशत वी./वी. तीव्रता की देशी मदिरा के संदर्भ में होगा। जनपद में नवसृजित दुकानों का एम.जी.क्यू. प्रस्तर-2.1.3(i) में निर्धारित एम.जी.क्यू. के अतिरिक्त होगा।

2.1.4 देशी मदिरा की बेसिक लाइसेंस फीस:-

वर्ष 2020-21 हेतु बेसिक लाइसेंस फीस की व्यवस्था निम्नवत् होगीः

1. अतिरिक्त उठान पर बेसिक लाइसेंस फीस न लिये जाने की व्यवस्था को यथावत रखा जाता है।
2. बेसिक लाइसेंस फीस की दर के निर्धारण की व्यवस्था को एम.जी.क्यू. से पृथक करते हुये देशी मदिरा दुकान की वर्ष 2019-20 की बेसिक लाइसेंस फीस में 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये 2020-21 हेतु देशी मदिरा दुकानों की वार्षिक बेसिक लाइसेंस फीस निर्धारित की जाएगी।

2.1.5 देशी मदिरा की लाइसेंस फीस(प्रतिफल फीस):-

वर्ष 2020-21 हेतु प्रतिफल फीस रु.226 प्रति बल्क लीटर (36 प्रतिशत वी/वी के टर्म में) निर्धारित की जाती है। उपरोक्त के दृष्टिगत वर्ष 2020-21 हेतु देशी मदिरा की प्रतिफल फीस की दरें निम्नवत् होंगीः

क्र.सं.	देशी मदिरा की श्रेणी, तीव्रता	वर्ष 2020-21 हेतु प्रस्तावित प्रतिफल फीस की दर (रु. प्रति बल्क लीटर)
1.	42.8 प्रतिशत वी./वी. के रुप में	268.69
2.	36 प्रतिशत वी./वी. के रुप में	226.00
3.	25 प्रतिशत वी./वी.के रुप में (सादा, मसाला)	156.94

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

दुकान की मासिक लाइसेंस फीस जो मासिक एम.जी.क्यू. में सन्निहित प्रतिफल शुल्क के समतुल्य होगी, प्रतिमाह अनुज्ञापी को जमा करना अनिवार्य होगा। इस हेतु उपरोक्तानुसार आगणित मासिक एम.जी.क्यू. की निकासी में सन्निहित प्रतिफल शुल्क के समतुल्य मासिक लाइसेंस फीस के समायोजन का अनुज्ञापी हकदार होगा। मासिक लाइसेंस फीस के उपरोक्तानुसार भुगतान, समायोजन में विफल रहने पर दुकान की प्रतिभूति जब्त कर ली जायेगी तथा दुकान का अनुज्ञापन निरस्त कर दिया जायेगा।

2.1.6 बेसिक लाइसेंस फीस एवं लाइसेंस फीस की देयतायें:-

किसी देशी मदिरा दुकान के लिये वर्ष 2020-21 हेतु उसकी बेसिक लाइसेंस फीस एवं लाइसेंस फीस की गणना प्रस्तर 2.1.4 एवं 2.1.5 के अनुसार की जायेगी। एम.जी.क्यू. से अधिक देशी मदिरा की निकासी उठाने पर अतिरिक्त निकासी पर बेसिक लाइसेंस फीस अतिरिक्त रुप से देय नहीं होगी, परन्तु किसी माह में एम.जी.क्यू. से अधिक उठायी गयी देशी मदिरा पर उदग्रहणीय प्रतिफल शुल्क एवं अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क का समायोजन अगले महीनों हेतु निर्धारित मासिक लाइसेंस फीस के विरुद्ध नहीं किया जा सकेगा।

आबकारी नीति वर्ष 2019-20 में यह प्रतिबंध था कि देशी मदिरा की फुटकर दुकान पर जनपद में व्यवस्थित किसी एक सी.एल.-2 थोक अनुज्ञापन से अपने मासिक एम.जी.क्यू. का अधिकतम 70 प्रतिशत तक उठान किया जाना अनुमन्य होगा। संपूर्ण मासिक एम.जी.क्यू. का उठान कर लिये जाने के पश्चात अनुज्ञापी द्वारा किसी भी सी.एल.-2 से अतिरिक्त निकासी ली जा सकेगी।

वर्ष 2020-21 हेतु उक्त प्रतिबंध को समाप्त किया जाता है।

2.1.7 देशी मदिरा पर अतिरिक्त प्रतिफल फीस लिया जाना:-

वर्ष 2019-20 में देशी मदिरा के ऑप्टिमम रिटेल प्राइस को बढ़ाकर देशी मदिरा की एम.आर.पी. रु.5 के अगले गुणांक में निर्धारित की गयी है एवं अन्तर की धनराशि को अतिरिक्त प्रतिफल फीस के रुप में आसवनी स्तर पर ही वसूल किया जा रहा है। इस व्यवस्था को आगामी वर्ष 2020-21 के लिये यथावत रखा जाता है। इस प्रकार वसूली गयी अतिरिक्त प्रतिफल फीस की धनराशि देशी मदिरा के फुटकर अनुज्ञापी की लाइसेंस फीस में समायोजन योग्य नहीं होगी। परन्तु अनुज्ञापी द्वारा मासिक एम.जी.क्यू. का पूर्ण रूप से उठान न किये जाने की स्थिति में अनुज्ञापी को, न उठाये गये एम.जी.क्यू. की मात्रा में सन्निहित प्रतिफल शुल्क व इसमें सन्निहित 36 प्रतिशत वी./वी. तीव्रता की देशी मदिरा के 200 एम.एल. की बोतलों की संख्या पर देय अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा।

2.1.8 देशी मदिरा का मूल्य निर्धारणः-

वर्ष 2020-21 हेतु देशी मदिरा के अधिकतम थोक व अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य का निर्धारण निम्नलिखित तालिका के अनुसार किया जाता हैः-

क्र.सं.	देशी मदिरा का प्रकार	धारिता	प्रतिफल शुल्क रहित एक्स आसवनी मूल्य (रुपये में)	प्रतिफल शुल्क	अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क (रुपये में)	थोक क्रय मूल्य (रुपये में)	थोक विक्रय मूल्य (रुपये में)	अधिकतम फुटकर बिक्रय मूल्य (रुपये में)

http://shasanadesh.up.gov.in

1.	42.8प्रतिशत वी./वी.(मसाला)	200 एम.एल.	5.28	53.74	0.61	59.83	60.74	75.00
2.	36 प्रतिशत वी/वी (मसाला)	200 एम.एल.	4.90	45.20	1.78	50.87	51.69	65.00
3.	25 प्रतिशत वी/वी (सादा, मसाला)	200 एम.एल.	4.30	31.39	4.79	36.92	37.10	50.00

(संलग्नक-1)

नोटः- देशी मदिरा मूल्य निर्धारण में बार-कोड, क्यू.आर.कोड ऐप्लीकेशन में रु.0.15 प्रति यूनिट की व्यवस्था की गयी है। आई.इ.एस.सी.एम.एस. लागू होने के उपरांत उपरोक्त रु.0.15 में से रु.0.09 टैक ऐण्ड टेस एप्लीकेशन हेतु आसवनियों को प्रतिफल शुल्क रहित एक्स आसवनी मूल्य में से जमा करना होगा।

<u>आवश्यक शर्तें एवं प्रतिबन्ध</u>-

प्रत्येक देशी मदिरा उत्पादक आसवनी यह सुनिश्चित करेगी कि देशी मदिरा की आपूर्ति इण्डेण्ट प्राप्ति से 03 दिन के भीतर हो जाय। विलम्ब की दशा में इण्डेण्ट में वांछित निकासी में सन्निहित राजस्व के 0.5 प्रतिशत की दर से आसवनी पर प्रतिदिन जुर्माना आरोपित होगा। यह जुर्माना सहायक आबकारी आयुक्त संबंधित आसवनी द्वारा प्रत्येक सप्ताह आगणित कर के आसवनी के अग्रिम खाते से समायोजित कर लिया जायेगा जिसे लाल स्याही से अंकित किया जायेगा।

प्रतिबंध यह होगा कि गत् तीन वर्षो में किसी आसवनी द्वारा संगत माह में किये गये देशी मदिरा के अधिकतम उत्पादन पर 15 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये वर्ष 2020-21 के संगत माह की अधिकतम उत्पादन क्षमता निर्धारित की जायेगी। परन्तु यह आसवनी की स्वीकृत वार्षिक पेय क्षमता के मासिक औसत से अधिक नहीं होगी। यदि आसवनी द्वारा देशी एवं विदेशी मदिरा दोनों का उत्पादन किया जा रहा है तो गत वर्ष का विदेशी मदिरा उत्पादन स्वीकृत पेय क्षमता से घटाया जायेगा। अधिकतम मासिक उत्पादन क्षमता से कम उत्पादन, निकासी करने वाली आसवनी, जहाँ तीन दिवस से अधिक अवधि के इण्डेण्ट लम्बित होंगे, के संबंध में माह के अंत में अधिकतम उत्पादन क्षमता एवं वास्तविक रूप से किये गये उत्पादन का अंतर निकाला जायेगा। इस अंतर की सीमा तक के 03 दिवस से अधिक अवधि के लम्बित सबसे पुराने इण्डेण्टों से आरम्भ करते हुये ऐसे समस्त इण्डेण्टों की आपूर्ति इस प्रस्तर के अनुसार विलम्बित मानी जायेगी एवं तदनुसार जुर्माना आरोपित किया जायेगा। ऐसी आसवनियाँ जहाँ तीन दिवस से अधिक अवधि के लम्बित इण्डेण्टों में सन्निहित मदिरा की मात्रा आसवनी की अधिकतम औसत उत्पादन क्षमता से कम होगी, वहाँ पर उपरोक्त प्रस्तर के प्राविधानानुसार जुर्माना आरोपित किया जायेगा।

उदाहरण के लिये किसी आसवनी द्वारा यदि गत तीन वर्ष में माह अप्रैल में क्रमशः 90 ब.ली., 100 ब.ली. एवं 95 ब.ली. देशी मदिरा का उत्पादन किया गया है तो गत तीन वर्षो में माह अप्रैल का देशी मदिरा का अधिकतम उत्पादन 100 ब.ली. को 15 प्रतिशत बढ़ाने पर संदर्भगत वितीय वर्ष के माह अप्रैल की देशी मदिरा की अधिकतम उत्पादन क्षमता 115 ब.ली. निर्धारित होगी। यदि आसवनी द्वारा माह अप्रैल में इससे अधिक उत्पादन कर निकासी दी गयी है तो कोई पेनाल्टी देय नहीं होगी।

यदि माह अप्रैल में इससे कम उत्पादन हुआ, उदाहरण के लिये केवल 100 ब.ली. का उत्पादन कर निकासी दी गयी है तो निर्धारित अधिकतम उत्पादन क्षमता के सापेक्ष किये गये कम

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

उत्पादन "15 ब.ली." के समतुल्य सबसे पुराने लम्बित इण्डेण्ट पर पेनाल्टी देय होगी। ऐसे चिन्हित इण्डेण्ट पर इण्डेण्टवार, इण्डेण्ट की तिथि से 03 दिवस के अतिरिक्त मासान्त तक हुये विलम्ब के लिये इस प्रस्तर में निर्धारित पेनाल्टी देय होगी। प्रत्येक माह के लिये उपरोक्तानुसार पेनाल्टी का निर्धारण किया जायेगा।

यदि आसवनी की स्वीकृत वार्षिक पेय क्षमता 1500 ब.ली. है एवं उक्त आसवनी द्वारा गत वर्ष 240 ब.ली. का विदेशी मदिरा का उत्पादन किया गया है तो मासिक औसत उत्पादन क्षमता का आगणन {(1500-240)/12 = 105 ब.ली.)} होगी। उक्त स्थिति में 105 ब.ली. के अतिरिक्त निकासी दिये जाने पर कोई पेनाल्टी देय नहीं होगी।

प्रत्येक आसवनी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इण्डेण्ट प्राप्ति के 02 कार्य दिवसों के अन्दर इण्डेण्ट में सन्निहित प्रतिफल शुल्क और अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क को राजकोष में जमा कर दिया जाय अन्यथा की दशा में रू.5,000/- प्रतिदिन की दर से आसवनी पर जुर्माना आरोपित किया जायेगा। यह जुर्माना सहायक आबकारी आयुक्त सम्बन्धित आसवनी द्वारा प्रत्येक सप्ताह आगणित करके आसवनी के अग्रिम खाते से समायोजित कर लिया जायेगा, जिसे लाल स्याही से अंकित किया जायेगा।

2.1.9 देशी मदिरा की दुकानों का सृजनः-

वर्ष 2020-21 में वर्तमान वर्ष में देशी मदिरा की व्यवस्थित कुल दुकानों की संख्या के 02 प्रतिशत तक दुकानों के सृजन का अधिकार आबकारी आयुक्त उ.प्र. को दिया जाता है। इससे अधिक की आवश्यकता पड़ने पर शासन की अनुमति से नई दुकानों का सृजन किया जा सकेगा।

वर्ष 2020-21 हेतु नवसृजित देशी मदिरा की दुकानों का एम.जी.क्यू. वर्ष 2019-20 की भॉति निम्नवत् रखा जाता है:-

क्र.सं.	**दुकान की प्रास्थिति**	वर्ष 2020-21 हेतु निर्धारित न्यूनतम एम.जी.क्यू. (ब.ली.में)
1.	नगर निगम व इसकी सीमा से 03 कि.मी. की परिधि तक	26,600
2.	नगर पालिका व इसकी सीमा से 03 कि.मी. की परिधि तक	19,000
3.	नगर पंचायत व इसकी सीमा से 01 कि.मी. की परिधि तक	11,500
4.	ग्रामीण	6,600

देशी मदिरा की समस्त दुकानों (नवसृजित सहित) की प्रास्थिति का निर्धारण नियमानुसार किया जायेगा। इस संबंध में आबकारी आयुक्त, उ.प्र. द्वारा समय-समय पर प्रसारित परिपत्रों में दिये गये निर्देशों का भी कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2.1.10 देशी मदिरा दुकानों का वर्ष 2020-21 हेतु नवीनीकरण:-

वर्ष 2019-20 की आबकारी नीति में यह व्यवस्था है कि "जिन देशी मदिरा दुकानों पर वर्ष 2019-20 हेतु निर्धारित एम.जी.क्यू. से 2 प्रतिशत से अधिक का उपभोग पाया जायेगा, उन दुकानों के अनुज्ञापन, तत्समय निर्धारित शर्तों, प्रतिबंधों, देयताओं और अनुज्ञापी की इच्छा पर वर्ष 2020-21 हेतु नवीनीकृत किये जाने का आधार होगा। इस हेतु वार्षिक एम.जी.क्यू. और यथा स्थिति समानुपातिक आधार पर दुकान पर किये गये उपभोग का आंकलन किया जायेगा"।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

देशी मदिरा दुकानों का वर्ष 2020-21 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन नवीनीकरण किया जाएगाः-

1. अंतिम व्यपगत मास तक की समस्त देयताएं बेबाक हों।

2. वर्ष 2019-20 की प्रतिभूति धनराशि जमा एवं सुरक्षित हो।

3. अनुज्ञापी को इस आशय का रु.10/- के नॉनजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेराइज्ड शपथ पत्र भी देना होगा कि वह वर्ष 2020-21 हेतु निर्धारित समस्त देयताओं को जमा करने हेतु सहमत है तथा अपनी दुकान को वर्ष 2019-20 हेतु अनुमोदित चैहद्दी पर नवीनीकृत कराने को तैयार है। दिनांक 31.12.2019 तक की अवधि हेतु उसकी दुकान पर निर्धारित एम.जी.क्यू. से न्यूनतम 02 प्रतिशत अधिक की निकासी ली जा चुकी है तथा उसके द्वारा अपनी दुकान पर दिनांक 31.03.2020 तक की अवधि हेतु निर्धारित एम.जी.क्यू. से न्यूनतम 02 प्रतिशत अधिक की निकासी ली जायेगी। विफलता की दशा में उसका नवीनीकरण निरस्त कर दिया जाये तथा उसकी वर्ष 2019-20 की प्रतिभूति का 15 प्रतिशत एवं वर्ष 2020-21 की नवीनीकरण फीस व बेसिक लाइसेंस फीस राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाये। प्रतिभूति की जब्ती की दशा में वर्ष 2019-20 हेतु आवश्यक प्रतिभूति की प्रतिपूर्ति करेगा।

उपरोक्त शर्तों के साथ वर्ष 2020-21 हेतु देशी मदिरा की दुकानों का नवीनीकरण किया जाएगा।

नवीनीकरण की प्रक्रिया

(क) सर्वप्रथम संबंधित जनपद के जिलाधिकारी, लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा न्यूनतम 02 बहुप्रचलित स्थानीय समाचार पत्रों में और जनपद की वेबसाइट पर संक्षिप्त विज्ञप्ति जिसका सामान्य प्रारूप आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित किया जायेगा, प्रकाशित कराकर जनपद की व्यवस्थित दुकानों के अनुज्ञापियों से नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र ऑनलाइन मांगे जायेंगे। विज्ञप्ति में यह अंकित होगा कि दुकानों से संबंधित अन्य आवश्यक विवरण संबंधित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय, जनपद की वेबसाइट, ई-लाटरी अथवा ई-रिन्यूअल पोर्टल एवं विभागीय वेबसाइट से प्राप्त किये जा सकते हैं।

(ख) दुकानों के वर्ष 2019-20 के अनुज्ञापियों में से नवीनीकरण हेतु इच्छुक अनुज्ञापी द्वारा नवीनीकरण प्रार्थना पत्र ऑनलाइन प्रस्तुत किया जायेगा, उपरोक्त वर्णित शपथ-पत्र अपलोड किया जायेगा तथा प्रोसेसिंग फीस की धनराशि को ऑनलाइन जमा किया जायेगा। आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से 03 कार्य दिवस के अंदर लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा नवीनीकरण पर निर्णय लेते हुये संबंधित इच्छुक अनुज्ञापी को नवीनीकरण शुल्क तथा दुकान की वर्ष 2020-21 हेतु निर्धारित बेसिक लाइसेंस फीस की 50 प्रतिशत धनराशि 03 कार्य दिवस के अंदर जमा करने का निर्देश दिया जायेगा। शेष 50 प्रतिशत धनराशि 28 फरवरी, 2020 तक अनुज्ञापी को जमा करना अनिवार्य होगा। प्रतिभूति धनराशि के अंतर की धनराशि अनुज्ञापी द्वारा 20 मार्च, 2020 तक जमा की जा सकेगी।

(ग) अनुज्ञापी द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करने अथवा प्रतिभूति के अंतर की धनराशि समयान्तर्गत न जमा करने अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र का पालन न करने पर उसका नवीनीकरण निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसकी वर्ष 2019-20 की प्रतिभूति का 15 प्रतिशत एवं वर्ष 2020-21 की नवीनीकरण फीस व बेसिक लाइसेंस फीस राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।

नवीनीकरण से अवशेष दुकानों का व्यवस्थापन ई-लाटरी की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2.1.11 देशी मदिरा की दुकानों की नवीनीकरण फीसः-

वर्ष 2019-20 के नवीनीकरण शुल्क में 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये 5000 के अगले गुणांक में वर्ष 2020-21 के लिए निम्नानुसार नवीनीकरण फीस निर्धारित की जाती हैः-

क्र.सं.	**निकाय**	**वर्ष 2020-21 हेतु निर्धारित दर प्रति दुकान(रुपये में)**
1.	नगर निगम क्षेत्र की दुकानों के लिए	85,000
2.	नगर पालिका क्षेत्र की दुकानों के लिए	80,000
3.	नगर पंचायत क्षेत्र की दुकानों के लिए	65,000
4.	ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों के लिए	30,000

2.1.12 देशी मदिरा के थोक अनुज्ञापनः-

(1) थोक अनुज्ञापनों का व्यवस्थापनः-

(क) देशी मदिरा के थोक अनुज्ञापन (सी.एल.-2) का व्यवस्थापनः-

वर्ष 2020-21 हेतु देशी मदिरा के थोक अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन, उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी शराब की थोक बिक्री के लिये लाइसेंसों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2002 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार अर्ह आवेदकों के पक्ष में किया जाएगा। देशी मदिरा के थोक अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन 2019-20 की भॉति ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा। गत वर्ष की भॉति अधिकृत आयकर वैलुअर से निर्गत धारित संपत्ति प्रमाण-पत्र की व्यवस्था यथावत रखी जाती है।

(ख) सी.एल.-2 अनुज्ञापनों से अन्य जनपद को देशी मदिरा की आपूर्ति हेतु अतिरिक्त लाइसेंस फीसः-

देशी मदिरा की आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिये अन्य जनपद के सी.एल.-2 अनुज्ञापी से आपूर्ति के संबंध में 2019-20 में की गयी व्यवस्था को यथावत रखा जाता है।

(2) देशी मदिरा के थोक अनुज्ञापनों का नवीनीकरण

वर्ष 2019-20 में स्वीकृत देशी मदिरा थोक अनुज्ञापनों का, वर्ष 2019-20 के अनुज्ञापी द्वारा वर्ष 2020-21 की निर्धारित देयताओं और अन्य शर्तो एवं प्रतिबंधों से सहमति की दशा में अनुज्ञापी की इच्छा पर वर्ष 2020-21 हेतु नवीनीकरण कराया जा सकेगा। यह नवीनीकरण ऑनलाइन किया जायेगा। इस हेतु वर्ष 2019-20 के देशी मदिरा थोक अनुज्ञापी द्वारा आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र एवं संबंधित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र अपलोड करते हुये निर्धारित देयताओं को ऑनलाइन जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

वर्तमान वर्ष 2019-20 में स्वीकृत सी.एल.-2 अनुज्ञापनों के अनुज्ञापी यदि इच्छुक हों, तो उनके सी.एल.-2 अनुज्ञापन, वर्ष 2020-21 के लिये निम्नांकित शर्तो के अधीन नवीनीकृत किये जाने की व्यवस्था की जाती हैः-

(1) अंतिम व्यपगत मास तक की समस्त देयताएं बेबाक हों।

(2) वर्ष 2019-20 की प्रतिभूति धनराशि जमा एवं सुरक्षित हो।

(3) उसके विरुद्ध कोई गम्भीर अनियमितता वर्ष 2019-20 में न पायी गयी हो।

(4) अनुज्ञापी को इस आशय का रु.10/- के नॉनजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेराइज्ड शपथ पत्र भी देना होगा कि वह वर्ष 2020-21 हेतु निर्धारित समस्त देयतायें देने को तैयार है तथा उसके अनुज्ञापन के वर्तमान परिसर, स्थान की चौहद्दी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। उक्त थोक अनुज्ञापन के लिये आवश्यक सभी अर्हतायें रखता है। वर्तमान अनुज्ञापन को

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से दिनांक 31 मार्च, 2020 तक संचालित करेगा और कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा, जिससे गम्भीर अनियमितता अथवा अनुज्ञापन निरस्तीकरण की स्थिति उत्पन्न हो। अनुज्ञापन की शर्तों का पालन न करने अथवा शपथ पत्र में उल्लिखित तथ्यों के विपरीत कार्य करने की दशा में उसका नवीनीकरण निरस्त कर दिया जाये तथा उसकी वर्ष 2019-20 की प्रतिभूति का 50 प्रतिशत एवं वर्ष 2020-21 की नवीनीकरण फीस एवं लाइसेंस फीस राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाये। प्रतिभूति की जब्ती की दशा में वर्ष 2019-20 हेतु आवश्यक प्रतिभूति की प्रतिपूर्ति करेगा।

नवीनीकरण हेतु संबंधित उप आबकारी आयुक्त प्रभार तथा उसके अनुमोदन हेतु संयुक्त आबकारी आयुक्त संबंधित जोन को प्राधिकृत किया जाता है।

2.1.13 देशी मदिरा के थोक अनुज्ञापन हेतु प्रोसेसिंग फीस, नवीनीकरण फीस, अनुज्ञापन शुल्क एवं प्रतिभूतिः-

वर्ष 2020-21 हेतु भी सी.एल.-2 अनुज्ञापन वर्ष 2019-20 की भांति जनपदवार निम्न प्रतिबंधों के साथ स्वीकृत किये जायेंगेः-

(1) वर्ष 2020-21 हेतु रु.1,00,000/- प्रोसेसिंग फीस के रुप में ली जाएगी।

(2) नवीनीकरण हेतु आवदेन करते समय नवीनीकरण फीस रु.90,000/- ली जाएगी।

(3) सी.एल.-2 अनुज्ञापनों की वर्ष 2019-20 की लाइसेंस फीस में 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये गतवर्ष की भांति 03 श्रेणियां यथावत रखते हुये वर्ष 2020-21 हेतु लाइसेंस फीस/प्रतिभूति धनराशि निम्नवत् रखी जाती हैः-

क्र.सं.	जनपद का नाम	वर्ष 2020-21 हेतु सी.एल.-2 अनुज्ञापन का अनुज्ञापन शुल्क (रुपये में)	वर्ष 2020-21 हेतु सी.एल.-2 अनुज्ञापन की प्रतिभूति (रुपये में)
1.	चित्रकूट, बागपत, बलरामपुर, हाथरस, शामली, कौशाम्बी,	7,70,000	77,000
2.	अमेठी, श्रावस्ती	11,00,000	1,10,000
3.	अन्य जनपद	22,00,000	2,20,000

(4) सी.एल.-2 अनुज्ञापन हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किये जाने अथवा वापस लिये जाने एवं इस संबंध में जमा की गयी धनराशियों के वापसी के अनुरोध मान्य नहीं होंगे।

2.1.14 देशी मदिरा की आपूर्ति हेतु निर्धारित धारितायें:-

वर्ष 2020-21 हेतु देशी मदिरा की आपूर्ति 42.8 प्रतिशत तीव्रता(मसाला), 36 प्रतिशत तीव्रता (मसाला) एवं 25 प्रतिशत तीव्रता (सादा, मसाला) में मात्र 200 एम.एल. की धारिता वाली पेट बोतलों, टेट्रापैक अथवा कांच की बोतलों में की जाएगी।

2.1.15 देशी मदिरा के ब्राण्ड का रजिस्ट्रेशन एवं लेबुल अनुमोदनः-

वर्तमान में ब्राण्ड रजिस्टेशन होने के पश्चात लेबुल अनुमोदन हेतु प्रचलित दो स्टेज प्रक्रिया के स्थान पर देशी मदिरा के ब्राण्ड रजिस्टेशन एवं लेबुल अनुमोदन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जायेंगे। वर्ष 2020-21 हेतु ब्राण्ड रजिस्टेशन की फीस रु.65,000 प्रति ब्राण्ड तथा लेबुल अनुमोदन की फीस रु.65,000 प्रति लेबुल निर्धारित की जाती है। नवीनीकरण की स्थिति में भी उपरोक्तानुसार निर्धारित फीस ली जाएगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

2.1.16 देशी मदिरा के ब्राण्ड का रजिस्ट्रेशन एवं लेबुल अनुमोदन का नवीनीकरणः-

यदि देशी मदिरा के किसी ब्राण्ड की किसी धारिता के वर्ष 2019-20 हेतु अनुमोदित लेबुल में कोई परिवर्तन (एम.आर.पी. को छोडकर) प्रस्तावित नहीं है तब वर्ष 2020-21 हेतु इस लेबुल तथा संबंधित ब्राण्ड का नवीनीकरण, मात्र निर्धारित अनुमोदन फीस तथा लेबुल का नमूना जमा कराकर कराया जा सकेगा। प्रतिबंध यह होगा कि लेबुलों के आकार, रंग, प्रिंटिंग इत्यादि में कोई परिवर्तन न किया गया हो। आंशिक परिवर्तन की दशा में पुनः लेबुल का अनुमोदन कराया जाना अनिवार्य होगा।

2.1.17 देशी मदिरा की निर्यात, आयात पास फीसः-

वर्ष 2019-20 में देशी मदिरा की निर्यात पास फीस रु.10/- प्रति ए.एल. तथा आयात फीस रु.1 प्रति ए.एल. है जिसे वर्ष 2020-21 में यथावत रखा जाता है।

2.1.18 आयातित देशी मदिरा की आपूर्तिः-

देशी मदिरा की आपूर्ति में आ रही कठिनाइयों के निवारण हेतु विशिष्ट परिस्थितियों में प्रदेश के बाहर से आयातित देशी मदिरा की आपूर्ति हेतु वर्ष 2019-20 में की गयी वैकल्पिक व्यवस्था को वर्ष 2020-21 में यथावत रखा जाता है।

2.2 विदेशी मदिरा

2.2.1 आवेदन व प्रोसेसिंग फीसः-

वर्ष 2020-21 हेतु प्रोसेसिंग फीस रु.20,000/-निर्धारित की जाती है।

2.2.2 विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों की लाइसेंस फीस:-

वर्ष 2020-21 हेतु विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों की लाइसेंस फीस का निर्धारण वर्ष 2019-20 में दुकान की वार्षिक लाइसेंस फीस पर 20 प्रतिशत की वृद्धि कर किया जाएगा। इस प्रकार प्राप्त लाइसेंस फीस की धनराशि यदि रु.5,000 के गुणांक में नहीं पायी जाती है, तो उसे बढ़ाकर रु.5,000 के अगले स्तर पर राउण्ड ऑफ करके निर्धारित की जाएगी।

यदि विदेशी मदिरा की कोई दुकान वर्ष 2019-20 में मध्य सत्र में संचालित या पुनर्व्यवस्थित हुयी है तो वर्ष 2020-21 की लाइसेंस फीस के निर्धारण में उक्त दुकान की वर्ष 2019-20 की संचालन अवधि में देय लाइसेंस फीस के स्थान पर उसकी वार्षिक लाइसेंस फीस का संज्ञान लिया जायेगा।

2.2.3 विदेशी मदिरा की दुकानों का सृजनः-

वर्ष 2020-21 में विदेशी मदिरा की वर्तमान वर्ष 2019-20 में व्यवस्थित कुल दुकानों की संख्या के 2 प्रतिशत तक दुकानों के सृजन का अधिकार आबकारी आयुक्त उ.प्र. को दिया जाता है।

वर्ष 2020-21 के लिये नवसृजित विदेशी मदिरा दुकानों की न्यूनतम लाइसेंस फीस का निर्धारण वर्ष 2019-20 हेतु नवसृजित दुकानों की न्यूनतम निर्धारित लाइसेंस फीस में 20 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये रु.5,000 के अगले गुणांक में निम्नवत् किया जाएगाः-

क्र.सं.	नवसृजित दुकान की प्रास्थिति	वर्ष 2019-20 हेतु निर्धारित न्यूनतम लाइसेंस फीस (रुपये में) प्रति दुकान	वर्ष 2020-21 हेतु निर्धारित न्यूनतम लाइसेंस फीस (रुपये में) प्रति दुकान
1	2	3	4
1.	नगर निगम व इसकी सीमा से 03 कि.मी. की परिधि तक	11,30,000	13,60,000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2.	नगर पालिका व इसकी सीमा से 02 कि.मी. की परिधि तक	3,85,000	4,65,000
3.	नगर पंचायत व इसकी सीमा से 02 कि.मी. की परिधि तक	1,85,000	2,25,000
4.	ग्रामीण	1,00,000	1,20,000

विदेशी मदिरा की समस्त दुकानों (नवसृजित सहित) की प्रास्थिति का निर्धारण नियमानुसार किया जायेगा। इस संबंध में आबकारी आयुक्त, उ.प्र. द्वारा समय-समय पर प्रसारित परिपत्रों में दिये गये निर्देशों का भी कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2.2.4 विदेशी मदिरा की फुटकर अनुज्ञापनों का वर्ष 2020-21 हेतु नवीनीकरण:-

वर्ष 2019-20 की आबकारी नीति में यह व्यवस्था है कि "वर्ष 2019-20 में जिन विदेशी मदिरा दुकानों पर वर्ष 2018-19 में हुये उपभोग में सन्निहित प्रतिफल शुल्क और अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क के योग की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक प्रतिफल शुल्क और अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क का योग सन्निहित होगा, उन दुकानों के अनुज्ञापन, तत्समय निर्धारित शर्तों, प्रतिबन्धों, देयताओं और अनुज्ञापी की इच्छा पर वर्ष 2020-21 हेतु नवीनीकृत किये जाने का आधार होगा।"

तद्क्रम में यह प्राविधानित किया जाता है कि वर्ष 2020-21 हेतु विदेशी मदिरा की ऐसी दुकानें ही नवीनीकरण हेतु अर्ह होंगी जिनपर वर्ष 2019-20 में वर्तमान अनुज्ञापी की संचालन अवधि में माह दिसम्बर, 2019 तक दुकान पर ली गयी निकासी में सन्निहित प्रतिफल शुल्क और अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क का योग वर्ष 2018-19 की संगत अवधि में दुकान पर ली गयी निकासी में सन्निहित प्रतिफल शुल्क और अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क के योग से 20 प्रतिशत अधिक होगा। प्रतिबंध यह होगा कि यदि वर्ष 2019-20 की अवधि के संगत अवधि वर्ष 2018-19 में न उपलब्ध होकर कम अवधि उपलब्ध होती है तब वर्ष 2018-19 की उपरोक्त कम अवधि में ली गयी निकासी में सन्निहित प्रतिफल शुल्क और अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क के योग से तुलना की जायेगी।

विदेशी मदिरा दुकानों का नवीनीकरण निम्नांकित शर्तों के अधीन किया जाएगा:-

(1) अंतिम व्यपगत मास तक की समस्त देयताएं बेबाक हों।

(2) वर्ष 2019-20 की प्रतिभूति धनराशि जमा एवं सुरक्षित हो।

(3) अनुज्ञापी को इस आशय का रु.10/- के नॉनजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेराइज्ड शपथ पत्र भी देना होगा कि वह वर्ष 2020-21 हेतु निर्धारित समस्त देयताओं को जमा करने हेतु सहमत है तथा अपनी दुकान को वर्ष 2019-20 हेतु अनुमोदित चैहद्दी पर नवीनीकृत कराने को तैयार है। उसके द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक अपनी दुकान पर ली गयी निकासी में सन्निहित राजस्व (प्रतिफल शुल्क और अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क का योग) गत वित्तीय वर्ष 2018-19 की संगत अवधि में ली गयी निकासी में सन्निहित राजस्व (प्रतिफल शुल्क और अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क का योग) से 20 प्रतिशत अधिक है। दिनांक 31 मार्च, 2020 तक दुकान पर ली जाने वाली निकासी में सन्निहित राजस्व (प्रतिफल शुल्क और अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क का योग) , गत वित्तीय वर्ष 2018-19 की संगत अवधि में ली गयी निकासी में सन्निहित राजस्व (प्रतिफल शुल्क और अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क का योग) से 20 प्रतिशत अधिक होगा। विफलता की दशा में उसका नवीनीकरण निरस्त कर दिया जाये तथा उसकी वर्ष 2019-20 की प्रतिभूति धनराशि का 50 प्रतिशत एवं वर्ष 2020-21 की नवीनीकरण फीस व लाइसेंस फीस राज्य सरकार के पक्ष

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

में जब्त कर ली जाये। प्रतिभूति धनराशि की जब्ती की दशा में वर्ष 2019-20 हेतु आवश्यक प्रतिभूति धनराशि की प्रतिपूर्ति करेगा।

इसके अतिरिक्त वर्ष 2019-20 में नवसृजित दुकानों को उनकी लाइसेंस फीस में 20 प्रतिशत की वृद्धि के साथ अनुज्ञापी की इच्छा पर वर्ष 2020-21 हेतु नवीनीकृत किया जाएगा। ऐसी दुकानों के नवीनीकरण के संबंध में निम्नांकित शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा:-

(1) अंतिम व्यपगत मास तक की समस्त देयताएं बेबाक हों।

(2) वर्ष 2019-20 की प्रतिभूति धनराशि जमा एवं सुरक्षित हो।

(3) अनुज्ञापी को इस आशय का रु.10/- के नॉनजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेराइज्ड शपथ पत्र भी देना होगा कि वह वर्ष 2020-21 हेतु निर्धारित समस्त देयताओं को जमा करने हेतु सहमत है तथा अपनी दुकान को वर्ष 2019-20 हेतु अनुमोदित चैहद्दी पर नवीनीकृत कराने को तैयार है। दिनांक 31.12.2019 तक उसकी दुकान पर ली गयी निकासी में सन्निहित राजस्व (प्रतिफल शुल्क और अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क का योग) के मासिक औसत से न्यूनतम 20 प्रतिशत अधिक राजस्व (प्रतिफल शुल्क और अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क का योग) के समतुल्य प्रतिमाह निकासी आगामी 3 माहों में लेना सुनिश्चित करेगा। विफलता की दशा में उसका नवीनीकरण निरस्त कर दिया जाये तथा उसकी वर्ष 2019-20 की प्रतिभूति का 50 प्रतिशत एवं वर्ष 2020-21 की नवीनीकरण फीस व लाइसेंस फीस राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाये। प्रतिभूति की जब्ती की दशा में वर्ष 2019-20 हेतु आवश्यक प्रतिभूति की प्रतिपूर्ति करेगा।

नवीनीकरण की प्रक्रिया

(क) सर्वप्रथम संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा न्यूनतम 02 बहुप्रचलित स्थानीय समाचार पत्रों में और जनपद की वेबसाइट पर संक्षिप्त विज्ञप्ति जिसका सामान्य प्रारूप आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित किया जायेगा, प्रकाशित कराकर जनपद की व्यवस्थित दुकानों के अनुज्ञापियों से नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र ऑनलाइन मांगे जायेंगे। विज्ञप्ति में यह अंकित होगा कि दुकानों से संबंधित अन्य आवश्यक विवरण संबंधित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय, जनपद की वेबसाइट, ई-लाटरी अथवा ई-रिन्यूअल पोर्टल एवं विभागीय वेबसाइट से प्राप्त किये जा सकते हैं।

(ख) दुकानों के वर्ष 2019-20 के अनुज्ञापियों में से नवीनीकरण हेतु इच्छुक अनुज्ञापी द्वारा नवीनीकरण प्रार्थना पत्र आनॅलाइन प्रस्तुत किया जायेगा, उपरोक्त वर्णित शपथ-पत्र अपलोड किया जायेगा तथा प्रासेसिंग फीस की धनराशि को आनॅलाइन जमा किया जायेगा। आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से 03 कार्य दिवस के अंदर लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा नवीनीकरण पर निर्णय लेते हुये संबंधित इच्छुक अनुज्ञापी को नवीनीकरण शुल्क तथा दुकान की वर्ष 2020-21 हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस की 50 प्रतिशत धनराशि 03 कार्य दिवस के अंदर जमा करने का निर्देश दिया जायेगा। शेष 50 प्रतिशत धनराशि 28 फरवरी, 2020 तक अनुज्ञापी को जमा करना अनिवार्य होगा। प्रतिभूति धनराशि के अंतर की धनराशि अनुज्ञापी द्वारा 20 मार्च, 2020 तक जमा की जा सकेगी।

(ग) अनुज्ञापी द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करने अथवा प्रतिभूति के अंतर की धनराशि समयांतर्गत न जमा करने अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र का पालन न करने पर उसका नवीनीकरण निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसकी वर्ष 2019-20 की प्रतिभूति का 50 प्रतिशत एवं वर्ष 2020-21 की नवीनीकरण फीस व बेसिक लाइसेंस फीस राज्य सरकार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।

नवीनीकरण से अवशेष दुकानों का व्यवस्थापन ई-लाटरी की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

2.2.5 विदेशी मदिरा की दुकानों की नवीनीकरण फीसः-

वर्ष 2019-20 के नवीनीकरण शुल्क में 10 प्रतिशत वृद्धि करते हुये रु.5,000 के अगले गुणांक में वर्ष 2020-21 हेतु नवीनीकरण फीस निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैः-

क्र.सं.	निकाय	वर्ष 2020-21 हेतु निर्धारित दर प्रति दुकान (रुपये में)
1.	नगर निगम क्षेत्र की दुकानों के लिए	95,000
2.	नगर पालिका क्षेत्र की दुकानों के लिए	85,000
3.	नगर पंचायत क्षेत्र की दुकानों के लिए	65,000
4.	ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों के लिए	35,000

2.2.6 विदेशी मदिरा की प्रतिफल फीस एवं एम.आर.पी. का निर्धारण:-

वर्ष 2020-21 हेतु भारत निर्मित विदेशी मदिरा (आई.एम.एफ.एल.) की प्रतिफल फीस एवं एम.आर.पी. का निर्धारण निम्नवत् किया जाता हैः

क्र.सं.	ई.डी.पी. की श्रेणी प्रति बोतल (750 एम.एल.) (E) (रु.)	श्रेणी का नाम	प्रतिफल फीस प्रति बोतल (750 एम.एल.) (D) (रु.)	थोक विक्रेता का मार्जिन (WM) (रु.)	फुटकर विक्रेता का मार्जिन (RM) (रु.)	एम.आर.पी. का सूत्र (MRP) (रु.)
1	2	3	4	5	6	7
1.	0 से 70 तक	इकोनोमी	रु.240+ई.डी.पी. का 75%	रु.3.75+ई.डी.पी. का 3.00%	रु.60+ई.डी.पी. का 20%	कालम 2+4+5+6 का योग
2.	70 से अधिक, 125 तक	मीडियम	रु.262+ई.डी.पी. का 82%	रु.4.00+ई.डी.पी. का 2.80%	रु.60+ई.डी.पी. का 20%	कालम 2+4+5+6 का योग
3.	125 से अधिक, 250 तक	रेगूलर	रु.270+ई.डी.पी. का 83%	रु.4.00+ई.डी.पी. का 2.80%	रु.75+ई.डी.पी. का 10%	कालम 2+4+5+6 का योग
4.	250 से अधिक, 400 तक	प्रीमियम	रु.275+ई.डी.पी. का 85%	रु.4.75+ई.डी.पी. का 2.50%	रु.75+ई.डी.पी. का 10%	कालम 2+4+5+6 का योग
5.	400 से अधिक, 600 तक	सुपर प्रीमियम	**रु.290+ई.डी.पी. का 90%**	रु.4.75+ई.डी.पी. का 2.50%	रु.85+ई.डी.पी. का 7.5%	कालम 2+4+5+6 का योग
6.	600 से अधिक	स्कॉच	**रु.300+ई.डी.पी. का 95%**	रु.4.75+ई.डी.पी. का 2.50%	रु.85+ई.डी.पी. का 7.5%	कालम 2+4+5+6 का योग

उक्त के अतिरिक्त वर्ष 2020-21 हेतु निम्न व्यवस्थाएं निर्धारित की जाती हैं:-

1. वर्ष 2020-21 हेतु कांच और पेट बोतलों, टेट्रा पैक सहित कैन में भी विदेशी मदिरा की आपूर्ति अनुमन्य होगी।

2. विदेशी मदिरा ब्राण्ड के मूल्य निर्धारण हेतु आसवनी/बाण्डधारक इकाई को आवेदन पत्र के साथ इस आशय का रु.10/- के नॉनजुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेराइज्ड शपथ पत्र भी देना होगा कि संबंधित ब्राण्ड के लिये उनके द्वारा घोषित ई.डी.पी. कास्ट एकाउटेन्ट द्वारा प्रमाणित है, जो उत्तर प्रदेश के निकटवर्ती राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों यथा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चण्डीगढ़,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

उत्तराखण्ड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, हिमाचल प्रदेश एवं बिहार (सम्प्रति बिहार में मद्यनिषेध है) में घोषित संबंधित ब्राण्ड या उसके सामानान्तर ब्राण्ड के लिये घोषित न्यूनतम ई.डी.पी. के समतुल्य अथवा उससे कम है। विभिन्न प्रदेशों में ई.डी.पी. में सम्मिलित किये जाने वाले मदों में एकरूपता नहीं है। प्रत्येक प्रदेश में लाइसेंस फीस, बॉटलिंग फीस, आयात फीस, ब्राण्ड पंजीकरण फीस, लेबुल अनुमोदन फीस, शीरा पर प्रशासनिक फीस, ई.एन.ए. पर वैट, परमिट फीस, स्पेशल फीस आदि भिन्न है। अतः ई.डी.पी. का मिलान करने हेतु इनका संज्ञान लिया जायेगा। शपथ पत्र में यह भी उल्लेख किया जायेगा कि जांच में अभिकथन असत्य पाये जाने पर प्रतिभूति में से रुपया 1 लाख जब्त करते हुये ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जायेगा।

3. वर्ष 2019-20 में 750 एम.एल.की बोतल की ई.डी.पी. के आधार पर छोटी धारिताओं की बोतलों की समानुपातिक ई.डी.पी. आगणित की जाती है। जबकि छोटी धारिताओं में बोतल, लेबुल व पी.पी. कैप के मूल्यों का अधिभार अधिक पड़ने के दृष्टिगत 750 एम.एल.की बोतल की ई.डी.पी. से समानुपातिक आगणित लागत के सापेक्ष अधिक लागत लगती है। बीयर में गत वर्ष से सर्वाधिक बिक्री होने वाली धारिता 500 एम.एल. केन (72 प्रतिशत बिक्री) के आधार पर ई.डी.पी. का आगणन सुनिश्चित किया गया है। विदेशी मदिरा में सर्वाधिक बिक्री 180 एम.एल. धारिता की बोतलों की होती है जो कुल बिक्री का 65 प्रतिशत है। अतः 180 एम.एल. धारिता हेतु दी गयी ई.डी.पी. के आधार पर अन्य धारिताओं की ई.डी.पी. का निर्धारण किया जाएगा।

4. 750 एम.एल. की तुलना में 180 एम.एल. अथवा इससे कम धारिता की 4 से अधिक बोतलें बनती हैं जिसके कारण बोतलों, कैप्स, लेवल आदि पर अतिरिक्त लागत आती है। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न धारिताओं हेतु बॉटलिंग फीस एवं स्पेशल फीस जो ई.डी.पी. मे सम्मिलित है, निर्धारित है जो छोटे पैक के लिये औसतन अधिक है। उक्त के अतिरिक्त छोटी धारिता की बोतलों के उत्पादन में कुल उत्पादकता पर भी प्रतिकूल प्रभाव होता है। छोटी धारिता पर अतिरिक्त इनपुट लागतों की भरपाई करने हेतु छोटी धारिताओं (180 एम.एल.) की बोतलों के आधार पर अधिक धारिता की बोतलों की ई.डी.पी. आगणित करने हेतु इनपुट (व्यय भार) के अन्तर का संज्ञान लिया जाना अवश्यक है। इस इनपुट (व्यय भार) के आधार पर आगणित 375 एम.एल. एवं 750 एम.एल. की बोतलों के समानुपातिक आगणित व्यय भार एवं वास्तविक व्यय भार के अन्तर की व्यवस्था ई.डी.पी. के आगणन सूत्र में करते हुए ई.डी.पी. आगणन सूत्र में 180 एम.एल. की बोतलों की ई.डी.पी. के आधार पर सर्वप्रथम 375 एम.एल. की बोतलों की ई.डी.पी. एवं 750 एम.एल. की ई.डी.पी. समानुपातिक रूप से आगणित कर उसमें से 375 एम.एल. की बोतलों की ई.डी.पी. हेतु रु.2.00 तथा 750 एम.एल. की बोतलों की ई.डी.पी. हेतु रु.7.00 कम करके ई.डी.पी. आगणित की जाएगी। 90 एम.एल.व 60 एम.एल.के एम.आर.पी. निर्धारण हेतु ई.डी.पी. का आगणन 180 एम.एल. की ई.डी.पी. के आधार पर समानुपातिक रुप से किया जाएगा। इस प्रकार ई.डी.पी. का आगणन निम्नानुसार होगाः-

EDP(180)= आसवक द्वारा घोषित
EDP(60)= [EDP(180)/180]*60
EDP(90)= [EDP(180)/180]*90
EDP(375)= [(EDP(180)/180)*375]-2
EDP(750)= [(EDP(180)/180)*750]-7

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5. स्पेशल फीस एवं टैक ऐण्ड टेस क्रियान्वयन हेतु रु.0.35 प्रत्येक बोतल की ई.डी.पी. में सम्मिलित होंगे।

6. विदेशी मदिरा के अधिकतम फुटकर बिक्री मूल्य को राउण्ड ऑफ करते हुये, 10 के गुणांक के अगले स्तर पर निर्धारित कर अंतर की धनराशि को अतिरिक्त प्रतिफल फीस के रूप में लिया जायेगा।

7. विभिन्न इकाइयों द्वारा अपने ब्राण्ड्स की भराई देश एवं प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर अनुबन्ध के अन्तर्गत कराई जाती है। जब उक्त ब्राण्डकी बोतल भराई करने वाली इकाई द्वारा ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो प्रायः अनुबन्ध की प्रति नहीं लगाई जाती है। अतः यह आवश्यक होगा कि ऐसे प्रकरणों में स्पष्ट उल्लेख किया जाये कि उक्त ब्राण्ड मूल रुप से अमुक इकाई का है, जिसकी भराई संबंधित इकाई (आवेदनकर्ता इकाई) के द्वारा की जाती है। इस आशय के संबंध में ब्राण्ड ओनर का प्रमाण पत्र भी अनिवार्य रुप से प्राप्त किया जाएगा।

2.2.7 विदेशी मदिरा का ई.एन.ए. से निर्माण:-

विदेशी मदिरा की सभी श्रेणियों का निर्माण ई.एन.ए. से करने की व्यवस्था प्रभावी है, जिसे वर्ष 2020-21 में भी यथावत रखा जाता है।

2.2.8 विदेशी मदिरा की थोक आपूर्तिः-

(1) थोक अनुज्ञापनों का व्यवस्थापनः-

(क) विदेशी मदिरा के थोक अनुज्ञापन (एफ.एल.-2) का व्यवस्थापन:-

वर्ष 2020-21 हेतु विदेशी मदिरा के थोक अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन, उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा के थोक विक्रय हेतु अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2002 (यथा संशोधित) के प्राविधानों के अनुसार अर्ह आवेदकों के पक्ष में किया जाएगा। विदेशी मदिरा के थोक अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन 2019-20 की भाँति ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा।

गत वर्ष की भाँति अधिकृत आयकर वैलुअर से निर्गत धारित संपत्ति प्रमाण-पत्र की व्यवस्था यथावत रहेगी।

(ख) एफ.एल.-2 अनुज्ञापनों से अन्य जनपद को विदेशी मदिरा की आपूर्ति हेतु अतिरिक्त लाइसेंस फीसः-

विदेशी मदिरा की आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिये अन्य जनपद के एफ.एल.-2 अनुज्ञापी से आपूर्ति के संबंध में 2019-20 में की गयी व्यवस्था को यथावत रखा जाता है।

(2) विदेशी मदिरा थोक अनुज्ञापनों का नवीनीकरण:-

वर्ष 2019-20 में स्वीकृत विदेशी मदिरा थोक अनुज्ञापनों का, वर्ष 2019-20 के अनुज्ञापी द्वारा वर्ष 2020-21 की निर्धारित देयताओं और अन्य शर्तो, प्रतिबंधों से सहमति की दशा में वर्ष 2020-21 हेतु नवीनीकरण कराया जा सकेगा। यह नवीनीकरण ऑनलाइन किया जायेगा। इस हेतु वर्ष 2019-20 के विदेशी मदिरा थोक अनुज्ञापी द्वारा आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र एवं संबंधित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र अपलोड करते हुये निर्धारित देयताओं को ऑनलाइन जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

वर्तमान वर्ष 2019-20 में स्वीकृत एफ.एल.-2 अनुज्ञापनों के अनुज्ञापी यदि इच्छुक हों, तो उनके एफ.एल.-2 अनुज्ञापन वर्ष 2020-21 के लिये निम्नांकित शर्तों के अधीन नवीनीकृत किये जाएंगेः-

(1) अंतिम व्यपगत मास तक की समस्त देयताएं बेबाक हों।

(2) वर्ष 2019-20 की प्रतिभूति धनराशि जमा एवं सुरक्षित हो।

(3) उसके विरुद्ध कोई गम्भीर अनियमितता वर्ष 2019-20 में न पायी गयी हो।

(4) अनुज्ञापी को इस आशय का रु.10/- के नॉनजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेराइज्ड शपथ पत्र भी देना होगा कि वह वर्ष 2020-21 हेतु समस्त देयतायें देने को तैयार है तथा उसके अनुज्ञापन के वर्तमान परिसर, स्थान की चैहद्दी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। थोक अनुज्ञापन के लिये आवश्यक सभी अर्हतायें रखता है। वर्तमान अनुज्ञापन को पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से दिनांक 31 मार्च, 2020 तक संचालित करेगा और कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा, जिससे गम्भीर अनियमितता अथवा अनुज्ञापन निरस्तीकरण की स्थिति उत्पन्न हो। अनुज्ञापन की शर्तों का पालन न करने अथवा शपथ पत्र में उल्लिखित तथ्यों के विपरीत कार्य करने की दशा में उसका नवीनीकरण निरस्त कर दिया जाये तथा उसकी वर्ष 2019-20 की प्रतिभूति का 50 प्रतिशत एवं वर्ष 2020-21 की नवीनीकरण फीस व लाइसेंस फीस राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाये। प्रतिभूति की जब्ती की दशा में वर्ष 2019-20 हेतु आवश्यक प्रतिभूति की प्रतिपूर्ति करेगा।

नवीनीकरण हेतु संबंधित उप आबकारी आयुक्त प्रभार तथा उसके अनुमोदन हेतु संयुक्त आबकारी आयुक्त संबंधित जोन को प्राधिकृत किया जाता है।

2.2.9 विदेशी मदिरा के थोक अनुज्ञापन हेतु प्रोसेसिंग फीस, नवीनीकरण फीस, अनुज्ञापन शुल्क एवं प्रतिभूतिः-

वर्ष 2020-21 हेतु भी एफ.एल.-2 अनुज्ञापन वर्ष 2019-20 की भांति जनपदवार निम्न प्रतिबंधों के साथ स्वीकृत एवं नवीनीकृत किये जायेंगेः-

(1) वर्ष 2020-21 हेतु रु.1,00,000/- प्रति अनुज्ञापन प्रोसेसिंग फीस के रुप में ली जाएगी।

(2) नवीनीकरण हेतु आवदेन करते समय नवीनीकरण फीस रु.90,000/- प्रति अनुज्ञापन ली जाएगी।

(3) एफ.एल.-2 अनुज्ञापनों की वर्ष 2019-20 की लाइसेंस फीस में 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये गत वर्ष की भांति 03 श्रेणियां यथावत रखते हुये वर्ष 2020-21 हेतु लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति धनराशि निम्नवत् निर्धारित की जाती हैः-

क्र. सं.	जनपद का नाम	लाइसेंस फीस प्रति अनुज्ञापन (लाख रुपये में)	प्रतिभूति धनराशि प्रति अनुज्ञापन (लाख रुपये में)
1.	वाराणसी, इलाहाबाद, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर नगर, मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, आगरा, अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, मथुरा	27.50	2.75
2.	गाजीपुर, जौनपुर, बलिया, आजमगढ, देवरिया, कुशीनगर, बिजनौर, बुलन्दशहर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, फिरोजाबाद।	22.00	2.20

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3.	उपरोक्त जनपदों को छोड़कर प्रदेश के शेष जनपद	16.50	1.65

(4) एफ.एल.-2 अनुज्ञापन हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किये जाने अथवा वापस लिये जाने एवं इस संबंध में जमा की गयी धनराशियों की वापसी के अनुरोध मान्य नहीं होंगे।

2.2.10 समुद्रपार से आयातित विदेशी मदिरा, बीयर की थोक बिक्री के एफ.एल.-2डी अनुज्ञापनः-

(1) एफ.एल.-2डी अनुज्ञापनों का व्यवस्थापनः-

वर्ष 2020-21 हेतु समुद्रपार से आयातित विदेशी मदिरा, बीयर की थोक बिक्री के एफ.एल.-2डी अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन, उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा के थोक विक्रय हेतु अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2002 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार अर्ह आवेदकों के पक्ष में किया जाएगा। एफ.एल.-2डी अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन, 2019-20 की भाँति ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा।

(2) एफ.एल.-2डी अनुज्ञापनों का नवीनीकरण

वर्ष 2019-20 में स्वीकृत एफ.एल.-2डी अनुज्ञापनों का, वर्ष 2019-20 के अनुज्ञापी द्वारा वर्ष 2020-21 की निर्धारित देयताओं और अन्य शर्तो, प्रतिबंधों से सहमति की दशा में वर्ष 2020-21 हेतु नवीनीकरण कराया जा सकेगा। यह नवीनीकरण ऑनलाइन किया जायेगा। इस हेतु वर्ष 2019-20 के एफ.एल.-2डी अनुज्ञापी द्वारा आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र एवं संबंधित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र अपलोड करते हुये निर्धारित देयताओं को ऑनलाइन जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

वर्तमान वर्ष 2019-20 में स्वीकृत एफ.एल.-2डी अनुज्ञापनों के अनुज्ञापी यदि इच्छुक हों, तो उनके एफ.एल.-2डी अनुज्ञापन वर्ष 2020-21 के लिये निम्नांकित शर्तो के अधीन नवीनीकृत किये जाने की व्यवस्था की जाती हैः-

(1) अंतिम व्यपगत मास तक की समस्त देयताएं बेबाक हों।

(2) वर्ष 2019-20 की प्रतिभूति धनराशि जमा एवं सुरक्षित हो।

(3) उसके विरुद्ध कोई गम्भीर अनियमितता वर्ष 2019-20 में न पायी गयी हो।

(4) अनुज्ञापी को इस आशय का रु.10/- के नॉनजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेराइज्ड शपथ पत्र भी देना होगा कि वह वर्ष 2020-21 हेतु समस्त देयतायें देने को तैयार है तथा उसके अनुज्ञापन के वर्तमान परिसर, स्थान की चैहद्दी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। थोक अनुज्ञापन के लिये आवश्यक सभी अर्हतायें रखता है। वर्तमान अनुज्ञापन को पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से दिनांक 31 मार्च, 2020 तक संचालित करेगा और कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा, जिससे गम्भीर अनियमितता अथवा अनुज्ञापन निरस्तीकरण की स्थिति उत्पन्न हो। अनुज्ञापन की शर्तो का पालन न करने अथवा शपथ पत्र में उल्लिखित तथ्यों के विपरीत कार्य करने की दशा में उसका नवीनीकरण निरस्त कर दिया जाये तथा उसकी वर्ष 2019-20 की प्रतिभूति का 50 प्रतिशत एवं वर्ष 2020-21 की नवीनीकरण फीस व लाइसेंस फीस राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाये। प्रतिभूति की जब्ती की दशा में वर्ष 2019-20 हेतु आवश्यक प्रतिभूति की प्रतिपूर्ति करेगा। मदिरा की त्वरित आपूर्ति के संबंध में आबकारी आयुक्त द्वारा निर्गत निर्देशों का अनुपालन करेगा।

नवीनीकरण हेतु आबकारी आयुक्त, उ.प्र. को प्राधिकृत किया जाता है।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) एफ.एल.-2डी अनुज्ञापन हेतु प्रोसेसिंग फीस, नवीनीकरण फीस, अनुज्ञापन शुल्क एवं प्रतिभूतिः-

वर्ष 2020-21 हेतु एफ.एल.-2डी अनुज्ञापन निम्न प्रतिबंधों के साथ स्वीकृत किया जाएगाः-

(1) वर्ष 2020-21 हेतु रु.80,000/- प्रोसेसिंग फीस के रुप में ली जाएगी।

(2) नवीनीकरण हेतु आवदेन करते समय नवीनीकरण फीस रु.75,000/- ली जाएगी।

(3) वर्ष 2019-20 में एफ.एल.-2डी अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस रु.6,00,000 प्रति अनुज्ञापन निर्धारित है। वर्ष 2020-21 हेतु एफ.एल.-2डी अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस यथावत् रखी जाती है।

2.2.11 एफ.एल.-2डी अनुज्ञापनों को समुद्रपार आयातित मदिरा/बीयर की आपूर्तिः-

वर्तमान में एफ.एल.-2डी अनुज्ञापनों द्वारा संबंधित जिलाधिकारी से आयात परमिट प्राप्त कर उत्तर प्रदेश में संचालित कस्टम बाण्ड वेयर हाउस से समुद्रपार आयातित मदिरा, बीयर प्राप्त की जाती है। यद्यपि प्रदेश में संचालित कस्टम बाण्ड वेयर हाउस से आपूर्ति का प्राविधान है परन्तु उनका टैक ऐण्ड टेस पंजीकरण न होने के कारण अन्य श्रोतों से भी आपूर्ति की संभावना रहती है। अतः समुद्रपार आयातित मदिरा की आपूर्ति हेतु निम्न व्यवस्था की जाती हैः-

समुद्र पार आयातित मदिरा की प्रदेश में आपूर्ति समुद्रपार उत्पादक या ब्राण्ड ओनर स्वयं या उनके द्वारा अधिकृत प्रमुख आयातक (Principal Importer), अधिकृत कस्टम बाण्ड वेयर हाउस द्वारा किये जाने का प्राविधान किया जाएगा। एक उत्पादक या ब्राण्ड ओनर प्रति ब्राण्ड हेतु प्रदेश में अधिकतम 5 इकाइयों को अधिकृत कर सकेगा। ऐसे आपूर्तिकर्ता का ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य होगा। पंजीकरण के समय आवेदक द्वारा निम्न सूचना उपलब्ध करायी जायेगीः-

(1) नाम व पता

(2) ब्राण्ड ओनर की आयात हेतु अनुमति/प्राधिकार पत्र

(3) ब्राण्ड के नाम जिनके आयात हेतु अधिकृत है

(4) प्रोसेसिंग फीस रु.10,000/- ऑनलाइन जमा की जायेगी

प्रदेश में आयातित की जाने वाली बी.आई.ओ. (बॉटल्ड इन ओरिजिन) मदिरा संबंधी प्रत्येक बिल आफ इण्ट्री को अपलोड करना होगा। पंजीकरण एक वित्तीय वर्ष के लिये होगा जो आगामी वर्ष में तत्समय की शर्तो, नीति के अनुरूप नवीनीकृत किया जा सकेगा।

वर्ष 2020-21 में एफ.एल.-2डी अनुज्ञापन धारक द्वारा, उत्तर प्रदेश में उपरोक्त पंजीकृत आपूर्तिकर्ता से ही समुद्रपार आयातित मदिरा प्राप्त की जा सकेगी। एफ.एल.-2डी धारक उन्हीं ब्राण्डों के इण्डेण्ट प्रस्तुत कर सकेंगे जिनके लिये आपूर्तिकर्ता पंजीकृत होगा।

आयात परमिट जिला आबकारी अधिकारी द्वारा 03 कार्य दिवस में निर्गत करने तथा विलम्ब की दशा में उप आबकारी आयुक्त, प्रभार द्वारा अगले 03 कार्य दिवस में निर्गत करने की व्यवस्था निर्धारित की जाती है।

2.2.12 (क) अन्य देशों से आयातित विदेशी मदिरा पर परमिट फीसः-

वर्ष 2020-21 हेतु अन्य देशों से आयातित विदेशी मदिरा की प्रतिफल फीस एवं एम.आर.पी.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

का निर्धारण निम्नानुसार किया जाएगाः-

सी.आई.एफ. मूल्य प्रति बोतल (750 एम.एल.)	कस्टम बाण्ड पर हैण्डलिंग चार्जेज	लाभांश	कस्टम ड्यूटी	एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य	परमिट फीस	थोक विक्रेता का मार्जिन	फुटकर विक्रेता का मार्जिन	अधिकतम खुदरा मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आयातक द्वारा घोषित	आयातक द्वारा घोषित	आयातक द्वारा घोषित	सी.आई.एफ. मूल्य का 150 प्रतिशत	1+2+3	तालिका के अनुसार	रु.4.75+ एक्स कस्टम बाण्ड मूल्यका 2.50%	रु.85+ एक्स कस्टम बाण्ड मूल्यका 7.5%	4+5+6+7+8 का योग (जिसे रु.10 के अगले गुणांक तक राउण्ड ऑफ कर अंतर की धनराशि को अतिरिक्त परमिट फीस के रूप में लिया जायेगा।)

घोषित सी.आई.एफ. मूल्य पंजीकरण के विगत 3 माह के औसत के आधार पर होगा। स्पेशल फीस एवं टैक ऐण्ड ट्रेस क्रियान्वयन फीस एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य में सम्मिलित होगा। वर्ष 2020-21 में परमिट फीस का निर्धारण एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य के आधार पर निम्नानुसार होगाः-

एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य प्रति बोतल (750 एम.एल.)	वर्ष 2020-21 हेतु निर्धारित परमिट फीस
रु.0 से 600 तक	रु.1200 प्रति बल्क लीटर
रु.600 से 1500 तक	रु.1260 प्रति बल्क लीटर
रु.1500 से अधिक	रु.1500 प्रति बल्क लीटर

(ख) नेपाल निर्मित बीयर एवं भूटान निर्मित मदिरा एवं बीयर के आयात को देश के अन्य राज्यों की भाँति आयात/निर्यात माना जाएगा।

2.2.13 एफ.एल.-9, 9ए अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस एवं प्रतिफल फीस:-

एफ.एल.-9, 9ए के अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस में कोई वृद्धि न करते हुये वर्ष 2020-21 हेतु लाइसेंस फीस यथावत, विदेशी मदिरा के लिये रु.30.00 प्रति बोतल (750 एम.एल.) तथा बीयर के लिये रु.7.00 प्रति बोतल (650 एम.एल.) रखा जाता है।

एफ.एल.-9, 9ए अनुज्ञापनों के माध्यम से आपूर्ति की जाने वाली भारत निर्मित विदेशी मदिरा की प्रतिफल फीस 2019-20 में सिविल हेतु अनुमन्य प्रतिफल फीस की 50 प्रतिशत थी, जिसे वर्ष 2020-21 में 60 प्रतिशत निर्धारित किया जाता है।

2.2.14 एफ.एल.-9ए अनुज्ञापन के अन्तर्गत रियायती रम की ई.डी.पी.:-

वर्ष 2019-20 हेतु एफ.एल.-9ए अनुज्ञापनों के अन्तर्गत रियायती रम की आपूर्ति इकोनोमी श्रेणी की विदेशी मदिरा की ई.डी.पी. रुपये 0 से 70 तक के अनुसार अनुमन्य है। इस व्यवस्था को वर्ष 2020-21 हेतु यथावत बनाये रखा जाता है। एफ.एल.-9ए अनुज्ञापन सैन्य बलों के अतिरिक्त अन्य केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक सुरक्षा बलों को भी दिये जाने की व्यवस्था है, जिसे यथावत बनाये रखते हुए इन इकाइयों को रियायती रम की आपूर्ति उपरोक्तानुसार की जाएगी।

2.2.15 विदेशी मदिरा के थोक अनुज्ञापन एफ.एल.-2ए की लाइसेंस फीस:-

प्रतिरक्षा सेनाओं एवं अन्य केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों को विदेशी मदिरा की थोक आपूर्ति हेतु एफ.एल.-2ए अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाते हैं। उक्त एफ.एल.-2ए अनुज्ञापन की लाइसेंस फीस वर्ष

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2019-20 हेतु रू.10,000 वार्षिक निर्धारित है, जिसे वर्ष 2020-21 हेतु यथावत रु.10,000 वार्षिक रखा जाता है।

2.2.16 एफ.एल.-1, एफ.एल.-1ए (आसवनी स्तर से विदेशी मदिरा, बीयर की आपूर्ति के थोक अनुज्ञापन) की लाइसेंस फीसः-

वर्ष 2019-20 हेतु एफ.एल.-1, एफ.एल.-1ए अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस रु.6,25,000/- एवं प्रतिभूति धनराशि रु.62,500/- प्रति अनुज्ञापन निर्धारित है, जिसे वर्ष 2020-21 हेतु यथावत रखा जाता है।

2.2.17 विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन, लैब के बंधित गोदामः-

(1) विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन, लैब के बंधित गोदाम के अनुज्ञापनों (बी.डब्लू.एफ.एल.-2ए, 2बी, 2सी, 2डी) का व्यवस्थापन:-

वर्ष 2020-21 में वर्ष 2019-20 की भॉति ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन, लैब के नये बंधित गोदामों का व्यवस्थापन, उत्तर प्रदेश आबकारी(विदेशी मदिरा बंधित गोदाम के लाइसेंसों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2011 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार किया जाएगा।

(2) विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन, लैब के बंधित गोदाम अनुज्ञापनों (बी.डब्लू.एफ.एल.-2ए, 2बी, 2सी, 2डी) का नवीनीकरण:-

वर्ष 2019-20 में स्वीकृत बी.डब्लू.एफ.एल.-2ए, 2बी, 2सी, 2डी अनुज्ञापनों का, वर्ष 2019-20 के अनुज्ञापी द्वारा वर्ष 2020-21 की निर्धारित देयताओं और अन्य शर्तों, प्रतिबंधों से सहमति की दशा में अनुज्ञापी की इच्छा पर वर्ष 2020-21 हेतु नवीनीकरण कराया जा सकेगा। यह नवीनीकरण ऑनलाइन किया जायेगा। इस हेतु वर्ष 2019-20 के बी.डब्लू.एफ.एल.-2ए, 2बी, 2सी, 2डी अनुज्ञापी द्वारा आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र एवं संबंधित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र अपलोड करते हुये निर्धारित देयताओं को ऑनलाइन जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

वर्तमान वर्ष 2019-20 में स्वीकृत बी.डब्लू.एफ.एल.-2ए, 2बी, 2सी, 2डी अनुज्ञापनों के अनुज्ञापी यदि इच्छुक हों, तो उनके बी.डब्लू.एफ.एल.-2ए, 2बी, 2सी, 2डी अनुज्ञापन वर्ष 2020-21 के लिये निम्नांकित शर्तों के अधीन नवीनीकृत किये जाएंगेः-

(1) अंतिम व्यपगत मास तक की समस्त देयताएं बेबाक हों।

(2) वर्ष 2019-20 की प्रतिभूति धनराशि जमा एवं सुरक्षित हो।

(3) उसके विरुद्ध कोई गम्भीर अनियमितता वर्ष 2019-20 में न पायी गयी हो।

(4) अनुज्ञापी को इस आशय का रु.10/- के नॉनजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेराइज्ड शपथ पत्र भी देना होगा कि वह वर्ष 2020-21 हेतु निर्धारित समस्त देयतायें देने को तैयार है तथा उसके अनुज्ञापन के वर्तमान परिसर, स्थान की चैहद्दी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश आबकारी(विदेशी मदिरा बंधित गोदाम के लाइसेंसों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2011 (यथा संशोधित) के प्राविधानों के अनुसार अर्हतायें वर्ष 2020-21 के लिये वह पूरा करता है। उसकी उत्पादक इकाई का अनुज्ञापन वैध है। आसवनी, यवासवनी एवं बॉटलिंग यूनिट का 2020-21 के लिये लाइसेंस प्रमाण पत्र 3 माह में प्रस्तुत करेगा। वर्तमान अनुज्ञापन को पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से दिनांक 31 मार्च, 2020 तक संचालित करेगा और कोई ऐसा कार्य नहीं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

करेगा, जिससे गम्भीर अनियमितता अथवा अनुज्ञापन निरस्तीकरण की स्थिति उत्पन्न हो। अनुज्ञापन की शर्तों का पालन न करने अथवा शपथ पत्र में उल्लिखित तथ्यों के विपरीत कार्य करने की दशा में उसका नवीनीकरण निरस्त कर दिया जाये तथा उसकी वर्ष 2019-20 की प्रतिभूति का 50 प्रतिशत एवं वर्ष 2020-21 की नवीनीकरण फीस एवं लाइसेंस फीस राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाये। प्रतिभूति की जब्ती की दशा में वर्ष 2019-20 हेतु आवश्यक प्रतिभूति की प्रतिपूर्ति करेगा।

नवीनीकरण हेतु आबकारी आयुक्त, उ.प्र. को प्राधिकृत किया जाता है।

2.2.18 विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन, लैब के बंधित गोदाम अनुज्ञापनों (बी.डब्लू.एफ.एल.-2ए, 2बी, 2सी, 2डी) हेतु प्रोसेसिंग फीस, नवीनीकरण फीस, अनुज्ञापन शुल्क एवं प्रतिभूति एवं अन्य व्यवस्थायें:-

(1) अनुज्ञापन प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र के साथ वर्ष 2019-20 में रु.50,000/- प्रोसेसिंग फीस के रुप में निर्धारित थी जिसे यथावत रखा जाता है।

(2) नवीनीकरण हेतु आवदेन करते समय नवीनीकरण फीस रु.50,000/- ली जाएगी।

(3) वर्ष 2020-21 हेतु इनकी लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति वर्ष 2019-20 की भांति यथावत् निम्नानुसार रखा जाता है:-

क्र.सं.	अनुज्ञापन का प्रकार	अनुज्ञापन का विवरण	वर्ष 2020-21 हेतु लाइसेंस फीस (लाख रुपये में)	वर्ष 2020-21 हेतु प्रतिभूति धनराशि (लाख रुपये में)
1	2	3	4	5
1.	BWFL-2A	अन्य राज्यों की इकाईयों में उत्पादित विदेशी मदिरा की उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु अनुज्ञापन।	10.00	5.00
2.	BWFL-2B	अन्य राज्यों की इकाईयों में उत्पादित बीयर की उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु अनुज्ञापन।	7.50	4.00
3.	BWFL-2C	अन्य राज्यों की इकाईयों में उत्पादित वाइन की उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु अनुज्ञापन।	0.75	0.50
4.	BWFL-2D	अन्य राज्यों की इकाईयों में उत्पादित एल.ए.बी. की उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु अनुज्ञापन।	0.50	0.25

(4) अन्य व्यवस्थायें:-

वर्ष 2019-20 में निम्न व्यवस्था थीः-

(i) यदि प्रदेश के बाहर की कोई इकाई प्रदेश के विभिन्न जनपदों में बाण्ड अनुज्ञापन लेना चाहे तो एक प्रार्थना-पत्र के साथ ही उसे विभिन्न जनपदों में अनुज्ञापन दिया जाना एवं इस निमित्त उससे प्रत्येक अनुज्ञापन हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस लिए जाने की व्यवस्था है।

(ii) इसी प्रकार प्रदेश के बाहर की कोई इकाई जिसकी अन्य प्रदेशों में कई इकाइयों हों,

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

यदि उत्तर प्रदेश में बाण्ड अनुज्ञापन लेकर अपनी विभिन्न इकाइयों से विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन, एल.ए.बी. एवं उसी इकाई द्वारा प्रदेश में उत्पादित मदिरा (एफ.एल.-1ए लाइसेंस के माध्यम से) की बिक्री एक ही परिसर से करना चाहती है तो उससे प्रत्येक इकाई के लिये निर्धारित लाइसेंस फीस लेकर कार्य करने की अनुमति प्रदान की जायेगी। प्रतिबंध यह होगा कि प्रयुक्त किये जा रहे परिसर में विभिन्न इकाइयों से प्राप्त पारेषणों को पृथक-पृथक भण्डारित किया जायेगा।

(iii) बाण्ड अनुज्ञापन प्राप्त करने हेतु इच्छुक अन्य प्रदेश की बॉटलिंग इकाइयों हेतु व्यावसायिक आय का वार्षिक टर्नओवर (राजस्व, प्रतिफल शुल्क को सम्मिलित करते हुये) रु.200 करोड़ से घटाकर न्यूनतम रु.150 करोड़ किया जाता है।

उपरोक्त व्यवस्था को निम्न संशोधनों के साथ वर्ष 2020-21 में यथावत रखा जाता है:-

(क) बाण्ड अनुज्ञापन प्राप्त करने हेतु इच्छुक अन्य प्रदेशों की बॉटलिंग इकाई हेतु वार्षिक टर्न ओवर रु.100 करोड़ का प्रतिबंध रखा जाता है।

(ख) बिन्दु संख्या- **i** में वर्णित अनुज्ञापनों से विक्रय किये जाने वाले ब्राण्डस एवं उनके लेबुलों का अनुमोदन संपूर्ण प्रदेश हेतु उत्पादक बॉटलिंग इकाई द्वारा एक बार ही कराया जाएगा।

(ग) ऐसे सभी बाण्ड एवं एफ.एल.-1ए को एक ही परिसर में मास्टर वेयरहाउस (Master Warehouse) के रूप में पंजीकृत किया जाएगा। मास्टर वेयरहाउस की पंजीकरण फीस रु.25,000 प्रति वेयरहाउस निर्धरित की जाती है। प्रदेश के किसी भी जनपद से आपूर्ति हेतु प्राप्त इन्डेन्ट की पूर्ति मास्टर वेयरहाउस में उपलब्ध मदिरा के किसी भी स्टाक से की जा सकेगी।

2.2.19 विदेशी मदिरा पर आयात अनुज्ञा पत्र फीसः-

वर्ष 2019-20 में बोतलों में आयातित विदेशी मदिरा पर आयात अनुज्ञा पत्र फीस रु.12/- प्रति बल्क लीटर तथा विदेशी मदिरा के बल्क में आयात पर (मिलेट्री कैन्टीन या सी.एस.डी. लाइसेंसधारी को छोड़कर) रु.5/- प्रति बल्क लीटर आयात अनुज्ञा पत्र फीस निर्धारित थी जिसे 2020-21 में यथावत रखा जाता है।

2.2.20 विदेशी मदिरा की निर्यात पास फीस सिविल:-

विदेशी मदिरा का बल्क में निर्यात किये जाने पर निर्यात पास फीस वर्ष 2019-20 हेतु रु.3/- प्रति बल्क लीटर तथा विदेशी मदिरा का बोतलों में निर्यात किये जाने पर निर्यात पास फीस रु.1.50/- प्रति बल्क लीटर निर्धारित है। इस व्यवस्था को वर्ष 2020-21 में यथावत रखा जाता है।

वर्ष 2019-20 में भारतीय सेना को आपूर्ति की जाने वाली रियायती रम पर निर्यात पास फीस रुपये 1.00 प्रति ए.एल. निर्धारित है। वर्ष 2020-21 हेतु इसे रु.1.00 प्रति ए.एल. यथावत रखा जाता है।

2.2.21 विदेशी मदिरा की 90 एम.एल.व 60 एम.एल.की धारिता में आपूर्ति:-

वर्ष 2019-20 हेतु 90 एम.एल.की धारिता की बोतलों में विदेशी मदिरा की बिक्री प्रीमियम व उससे ऊपर की श्रेणियों में शीशे की बोतलों के साथ-साथ "सिरोंग पैक" में तथा 60 एम.एल. धारिता की बोतलों की बिक्री स्कॉच की श्रेणी में अनुमन्य है। वर्ष 2020-21 में 60 एम.एल. एवं 90 एम.एल. की धारिता की बोतलों में विदेशी मदिरा की बिक्री प्रीमियम एवं उससे ऊपर की श्रेणियों में शीशे की बोतलों के साथ-साथ सिरोंग पैक में अनुमन्य किया जाता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2.2.22 बार एवं क्लब लाइसेंस:-

(क) श्रेणीकरण एवं लाइसेंस फीसः-

वर्ष 2020-21 हेतु बार अनुज्ञापनों की श्रेणियां एवं उनकी लाइसेंस फीस निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैं:-

क्र.सं.	होटल/बार के प्रकार	श्रेणी-1	श्रेणी-2	श्रेणी-3	श्रेणी-4
		गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद के संपूर्ण जनपद क्षेत्र तथा कानपुर नगर, आगरा, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी के नगर निगम क्षेत्र/जनपद मुख्यालय के नगर पालिका परिषद्, जिनमें छावनी बोर्ड, नोटिफाइड एरिया एवं विकास प्राधिकरण (सामान्य, विशेष अथवा औद्योगिक) यदि कोई हों, के क्षेत्र भी सम्मिलित हैं तथा इनकी 5 कि.मी. की परिधि के क्षेत्र जो भले ही नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र हों, में स्थित होटल/रेस्टोरेन्ट एवं क्लब बार।	**बरेली, अलीगढ़, गोरखपुर, झांसी, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, अयोध्या एवं फिरोजाबाद जनपद के नगर निगम क्षेत्र/ जनपद मुख्यालय के नगर पालिका परिषद् क्षेत्र, जिनमें छावनी बोर्ड, नोटिफाइड एरिया एवं विकास प्राधिकरण (सामान्य, विशेष अथवा औद्योगिक) यदि कोई हों, के क्षेत्र भी सम्मिलित हैं तथा इनकी 5 कि.मी. की परिधि के क्षेत्र जो भले ही नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र हों, में स्थित होटल/रेस्टोरेन्ट एवं क्लब बार।**	**अन्य समस्त जनपदों के जनपद मुख्यालय एवं समस्त जनपदों के नगर पालिका परिषद क्षेत्र, जिनमें छावनी बोर्ड, नोटिफाइड एरिया एवं विकास प्राधिकरण (सामान्य, विशेष अथवा औद्योगिक) यदि कोई हों, के क्षेत्र भी सम्मिलित हैं तथा इनकी 5 कि.मी. की परिधि के क्षेत्र जो भले ही नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र हों, में स्थित होटल/रेस्टोरेन्ट एवं क्लब बार।**	**श्रेणी-1, श्रेणी-2 एवं श्रेणी-3 के क्षेत्रों को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्र में स्थित होटल/रेस्टोरेन्ट एवं क्लब बार।**
1.	**एफ.एल.-6(समिश्र) कमरों की संख्या के आधार पर होटलों का वर्गीकरण**	**वार्षिक लाईसेंस फीस**			
	50 कमरों तक	10 लाख	7.50 लाख	5 लाख	2.50 लाख
	51 से 100 कमरों तक	12.50 लाख	10 लाख	7.50 लाख	5 लाख
	101 या उससे अधिक कमरों	15 लाख	12.50 लाख	10 लाख	7.50 लाख
2.	**एफ.एल.-6क (समिश्र) (पांच सितारा एवं उच्च होटल)**	25 लाख	20 लाख	15 लाख	10 लाख
	एफ.एल.-6क (समिश्र) (चार सितारा होटल)	22.50 लाख	17.50 लाख	12.50 लाख	9 लाख
	एफ.एल.-6क (समिश्र) (तीन सितारा होटल)	17.50 लाख	15 लाख	10 लाख	8 लाख

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3	**एफ.एल.-7 के लिए**	10 लाख	7.50 लाख	5 लाख	2.50 लाख
4.	**एफ.एल.-7सी (क्लब परमिट)**	**वार्षिक लाईसेंस फीस**			
	100 सदस्यों तक	3.00 लाख	3.00 लाख	1.50 लाख	1.50 लाख
	100 से अधिक सदस्यों के लिए	4.00 लाख	4.00 लाख	2.00 लाख	2.00 लाख

अग्रिम प्रतिबंध यह भी होगा कि किसी भी बार अनुज्ञापन की संबधित वर्ष की लाइसेंस फीस उसके द्वारा पूर्व वर्ष में अदा की गयी लाइसेंस फीस से कम नहीं होगी।

लाइसेंस फीस की अदायगी के उपरान्त निम्न सुविधायें 2019-20 में अनुमन्य थीं:-

(1) स्टार होटलों के सभी कमरों में तथा नॉन स्टार होटलों के केवल ए.सी. कमरों में अन्तःवासियों हेतु मिनी बार की सुविधा।

(2) होटलों में मदिरा पीने के लिये अनुमन्य बार रूम एवं होटल के कमरों के अतिरिक्त अन्य स्थानों यथा कानफ्रेंस रूम, बैंकटहाल, स्वीमिंग पूल व अन्य किसी स्थल पर अधिकतम 5 अतिरिक्त स्थलों की सीमा के अंतर्गत अन्तःवासियों हेतु मदिरा पान की सुविधा।

(3) भारत निर्मित विदेशी मदिरा तथा आयातित विदेशी मदिरा की प्रदेश में विक्रय हेतु अनुमन्य ब्राण्डों की 60 एम.एल. की धारिता की बोतलों की होटल के कमरों में उपलब्धता।

(4) ड्रॉट बीयर एवं बीयर की सभी धारिताओं की बोतलों, केन पैक सहित, उपलब्धता।

(5) वाइन की सभी धारिताओं की बोतलों की उपलब्धता।

(ख) अतिरिक्त सुविधाएं:-

वर्ष 2020-21 में उपरोक्त के अतिरिक्त निम्न सुविधाएं अनुमन्य होंगीः-

(1) होटल परिसर में मदिरा पीने के लिए पूर्व से अनुमन्य 5 स्थानों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर रू.50,000/- प्रति स्थान की अतिरिक्त फीस का भुगतान करने पर मदिरा परोसने की अनुमति जिलाधिकारी स्तर से दी जाएगी।

(2) प्रदेश में पर्यटन को प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से संचालित विशेष रेलगाड़ियां एवं क्रूज के पर्यटकों हेतु उत्तर प्रदेश की सीमा में मदिरा परोसने का विशेष अनुज्ञापन प्रदान किया जाएगा। एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट-बार अनुज्ञापन प्रदान किया जाएगा। वर्ष 2020-21 में वार्षिक लाइसेंस फीस, विशेष रेलगाड़ियों हेतु रु.10 लाख, क्रूज़ हेतु रु.3 लाख एवं एयरपोर्ट बार हेतु रु.5 लाख निर्धारित की जाती है।

(3) बार अनुज्ञापन आबकारी वर्ष के प्रारम्भ होने के बाद स्वीकृत होने की स्थिति में लाइसेंस फीस बचे हुए त्रैमासों की संख्या के अनुसार ली जायेगी। स्वीकृति की तिथि से संबंधित त्रैमास की लाइसेंस फीस भी देय होगी। त्रैमास की लाइसेंस फीस समानुपातिक रूप से आगणित की जायेगी।

2.2.23 बार अनुज्ञापनों की कार्यावधि:-

वर्ष 2019-20 हेतु सभी बार अनुज्ञापनों की कार्यावधि प्रत्येक दिनों में प्रातः 10 बजे से रात्रि 12 बजे तक निर्धारित है, साथ ही नगर निगम क्षेत्रों तथा गौतमबुद्वनगर में स्थित बारों से रु.एक लाख पच्चीस हजार रुपये अतिरिक्त वार्षिक फीस लेकर 1.00 बजे रात्रि तक बार में मदिरा का उपभोग

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अनुमन्य है। वर्ष 2020-21 हेतु नगर निगम क्षेत्रों तथा गौतमबुद्वनगर में स्थित होटल बार अनुज्ञापन परिसरों में मदिरा परोसने की अवधि बढ़ाकर रात्रि 2 बजे तक एवं तारांकित होटलों में रात्रि 4 बजे तक का अतिरिक्त समय रु.दो लाख पचास हजार प्रति 02 घन्टा, अतिरिक्त वार्षिक फीस लेकर अनुमन्य किया जाता है।

ऑकेजनल बार अनुज्ञापन प्रातः 8 बजे से रात्रि 12 बजे (प्रशासन की अनुमति से रात्रि 1 बजे तक) के मध्य लगातार 6 घण्टे की अवधि के लिए दिया जाएगा। विशेष रेल गाड़ियों एवं क्रूज के लिए मदिरा परोसने का समय प्रदेश में यात्रा की अवधि हेतु स्वीकृत किया जाएगा।

2.2.24 ऑकेजनल बार लाइसेंस:-

वर्ष 2020-21 हेतु ऑकेजनल बार अनुज्ञापन की लाइसेंस फीस निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैः-

ऑकेजनल बार लाइसेंस फीस की श्रेणी	**वर्ष 2020-21 हेतु ऑकेजनल बार अनुज्ञापन की लाइसेंस फीस**
(क) किसी व्यक्ति के अपने घर/ निजी स्थान (Private Place) पर आयोजित समारोह के लिए, जिसमें कोई लाभ अर्जन न हो। (गैर वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु)	रु.4,000/- प्रति दिन
(ख) किसी क्लब, संस्था, व्यक्ति द्वारा किसी होटल/ रेस्टोरेन्ट/बैंकेट हाल/रिसोर्टस/फार्म हाउस/बारात घर, कम्युनिटी सेंटर एवं अन्य किसी स्थान आदि में आयोजित समारोह के लिये प्रदत्त किये जाने वाले अनुज्ञापन हेतु। (वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु)	रु.11,000/- प्रति दिन

ऑकेजनल बार लाइसेंस (एफ.एल.-11) अनुज्ञापन धारकों को आबकारी आयुक्त, उ.प्र. द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। ऑकेजनल बार लाइसेंस (एफ.एल.-11) अनुज्ञापन ऑनलाइन ही निर्गत किये जायेंगे।

प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से, आई.आर.सी.टी.सी. द्वारा संचालित विशेष रेलगाड़ी "महाराजा" के विदेशी पर्यटकों हेतु उत्तर प्रदेश की सीमा में आयोजित किये जाने वाले "शैम्पेन ब्रेकफास्ट" और प्रदेश के पाँच सितारा होटलों में विदेशी पर्यटकों के समूह के लिये आयोजित किये जाने वाले "विशेष ब्रेकफास्ट" के लिये स्वीकृत किये जाने वाले ऑकेजनल बार अनुज्ञापनों के अंतर्गत प्रातः 09:00 बजे से मदिरा परोसने की विशेष अनुमति गत वर्ष की भाँति प्रदान की जाएगी।

2.3 वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय (लो अल्कोहलिक बिवरेजेज़-एल.ए.बी.) पर प्रतिफल फीस एवं बिक्री की अनुमन्यता

2.3.1 वाइनः-

(क) वर्ष 2019-20 में भारत में निर्मित वाइन पर आयात शुल्क, रु.3/- प्रति ब.ली. निर्धारित है जिसे वर्ष 2020-21 में यथावत रखा जाता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(ख) वर्ष 2019-20 में भारत निर्मित वाइन पर प्रतिफल फीस रु.75/- प्रतिलीटर या एम. आर.पी. का 25 प्रतिशत जो अधिक हो निर्धारित है। अन्य देशों से आयातित वाइन पर परमिट फीस वर्ष 2019-20 में रु.75/- प्रतिलीटर या एम.आर.पी. का 25 प्रतिशत जो अधिक हो निर्धारित है। उक्त दरों को वर्ष 2020-21 में रु.75/- प्रति ली. या एम.आर.पी. का 25 प्रतिशत जो अधिक हो रखा जाता है, परन्तु इसकी अधिकतम सीमा रु.1000/- प्रति लीटर होगी।

(ग) वर्ष 2020-21 में वाइन की बिक्री विदेशी मदिरा व बीयर की फुटकर दुकानों एवं मॉडल शॉप से भी अनुमन्य होगी।

2.3.2 कम तीव्रता के मादक पेय, ऐल, पोर्टर, साइडर व अन्य फर्मेन्टेड लिकर:-

(क) उपरोक्त मादकों पर गत वर्षो में बीयर की भांति ही प्रतिफल फीस ली जाती रही है। वर्ष 2019-20 में उक्त मादकों के संबंध में भी ई.बी.पी. प्राप्त कर बीयर की भॉति एम.आर.पी. व प्रतिफल फीस का निर्धारण एवं बीयर की दुकानों से बिक्री किया जाना अनुमन्य है। अतः 2019-20 की भॉति वर्ष 2020-21 में उक्त व्यवस्था को यथावत् बनाये रखा जाता है।

(ख) वर्ष 2019-20 में सेना के अधिकारियों को एफ.एल.-9 अनुज्ञापनों के माध्यम से बीयर की भांति एल.ए.बी. की बिक्री अनुमन्य है। वर्ष 2020-21 में सेना के अधिकारियों को एफ.एल.-9 अनुज्ञापनों के माध्यम से एल.ए.बी. की बिक्री की व्यवस्था यथावत रखी जाती है।

2.4 <u>बीयर</u>

2.4.1 आवेदन व प्रोसेसिंग फीसः-

वर्ष 2020-21 हेतु प्रोसेसिंग फीस रु.20,000 निर्धारित की जाती है।

2.4.2 बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों की लाइसेंस फीसः-

वर्ष 2020-21 हेतु बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों की लाइसेंस फीस का निर्धारण वर्ष 2019-20 में दुकान की वार्षिक लाइसेंस फीस 15 प्रतिशत वृद्धि कर किया जाएगा। इस प्रकार प्राप्त लाइसेंस फीस की धनराशि यदि रु.5,000 के गुणांक में नहीं पायी जाती है, तो उसे बढ़ाकर रु.5,000 के अगले स्तर पर राउण्ड ऑफ करके निर्धारित की जाएगी।

यदि बीयर की कोई दुकान वर्ष 2019-20 में मध्य सत्र में संचालित या पुनर्व्यवस्थित हुयी है तो वर्ष 2020-21 की लाइसेंस फीस के निर्धारण में उक्त दुकान की वर्ष 2019-20 की संचालन अवधि में देय लाइसेंस फीस के स्थान पर उसकी वार्षिक लाइसेंस फीस का संज्ञान लिया जायेगा।

2.4.3 बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों का सृजनः-

वर्ष 2020-21 हेतु बीयर की वर्ष 2019-20 में व्यवस्थित कुल दुकानों की संख्या के 02 प्रतिशत तक दुकानों के सृजन का अधिकार आबकारी आयुक्त उ.प्र. को दिया जाता है। वर्ष 2020-21 हेतु नवसृजित बीयर दुकानों की लाइसेंस फीस निम्नवत निर्धारित की जाती हैः-

क्र. सं.	नवसृजित दुकान की प्रास्थिति	वर्ष 2019-20 हेतु निर्धारित न्यूनतम लाइसेंस फीस प्रति दुकान (रुपये में)	वर्ष 2020-21 हेतु प्रस्तावित न्यूनतम लाइसेंस फीस प्रति दुकान (रुपये में)
1	**2**	**3**	**4**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1	नगर निगम व इसकी सीमा से 03 कि.मी. की परिधि तक	2,25,000	2,60,000
2	नगर पालिका व इसकी सीमा से 02 कि.मी. की परिधि तक	1,20,000	1,40,000
3	नगर पंचायत व इसकी सीमा से 01 कि.मी. की परिधि तक	70,000	85,000
4	ग्रामीण	65,000	75,000

बीयर की समस्त दुकानों (नवसृजित सहित), की प्रास्थिति का निर्धारण नियमानुसार किया जायेगा। इस संबंध में आबकारी आयुक्त, उ.प्र. द्वारा समय-समय पर प्रसारित परिपत्रों में दिये गये निर्देशों का भी कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2.4.4 बीयर के फुटकर अनुज्ञापनों का वर्ष 2020-21 हेतु नवीनीकरण:-

वर्ष 2019-20 की आबकारी नीति में यह व्यवस्था है कि "वर्ष 2019-20 में जिन बीयर दुकानों पर वर्ष 2018-19 में हुये उपभोग में सन्निहित प्रतिफल शुल्क और अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क के योग की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक प्रतिफल शुल्क और अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क का योग सन्निहित होगा, उन दुकानों के अनुज्ञापन, तत्समय निर्धारित शर्तों, प्रतिबन्धों, देयताओं और अनुज्ञापी की इच्छा पर वर्ष 2020-21 हेतु नवीनीकृत किये जाने का आधार होगा।"

तद्क्रम में वर्ष 2020-21 हेतु बीयर की ऐसी दुकानें ही नवीनीकरण हेतु अर्ह होंगी जिन पर वर्ष 2019-20 में वर्तमान अनुज्ञापी की संचालन अवधि में माह-दिसम्बर, 2019 तक दुकान पर ली गयी निकासी में सन्निहित प्रतिफल शुल्क और अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क का योग वर्ष 2018-19 की संगत अवधि में दुकान पर ली गयी निकासी में सन्निहित प्रतिफल शुल्क और अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क के योग से 20 प्रतिशत अधिक होगा। प्रतिबंध यह होगा कि यदि वर्ष 2019-20 की अवधि के संगत अवधि वर्ष 2018-19 में न उपलब्ध होकर कम अवधि उपलब्ध होती है, तब वर्ष 2018-19 की उपरोक्त कम अवधि में ली गयी निकासी में सन्निहित प्रतिफल शुल्क और अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क के योग से तुलना की जायेगी।

बीयर दुकानों को निम्नांकित शर्तों के अधीन नवीनीकृत किया जाएगा:-

(1) अंतिम व्यपगत मास तक की समस्त देयताएं बेबाक हों।

(2) वर्ष 2019-20 की प्रतिभूति धनराशि जमा एवं सुरक्षित हों।

(**3**) अनुज्ञापी को इस आशय का रु.10/- के नॉनजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेराइज्ड शपथ पत्र भी देना होगा कि वह वर्ष 2020-21 हेतु निर्धारित समस्त देयताओं को जमा करने हेतु सहमत है तथा अपनी दुकान को वर्ष 2019-20 हेतु अनुमोदित चैहद्दी पर नवीनीकृत कराने को तैयार है। उसके द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक अपनी दुकान पर ली गयी निकासी में सन्निहित राजस्व (प्रतिफल शुल्क और अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क का योग) गत वित्तीय वर्ष 2018-19 की संगत अवधि में ली गयी निकासी में सन्निहित राजस्व (प्रतिफल शुल्क और अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क का योग) से 20 प्रतिशत अधिक है। दिनांक 31 मार्च, 2020 तक दुकान पर ली जाने वाली निकासी में सन्निहित राजस्व (प्रतिफल शुल्क और अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क का योग), गत वित्तीय वर्ष 2018-19 की संगत अवधि में ली गयी निकासी में सन्निहित राजस्व (प्रतिफल शुल्क और अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क का योग) से 20 प्रतिशत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अधिक होगा। विफलता की दशा में उसका नवीनीकरण निरस्त कर दिया जाये तथा उसकी वर्ष 2019-20 की प्रतिभूति धनराशि का 50 प्रतिशत एवं वर्ष 2020-21 की नवीनीकरण फीस व लाइसेंस फीस राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाये। प्रतिभूति धनराशि की जब्ती की दशा में वर्ष 2019-20 हेतु आवश्यक प्रतिभूति धनराशि की प्रतिपूर्ति करेगा।

इसके अतिरिक्त वर्ष 2019-20 में नवसृजित दुकानों को उनकी लाइसेंस फीस में 15 प्रतिशत की वृद्धि के साथ अनुज्ञापी की इच्छा पर वर्ष 2020-21 हेतु नवीनीकृत किया जाएगा। ऐसी दुकानों के नवीनीकरण के लिये निम्नवत् शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा:-

(1) अंतिम व्यपगत मास तक की समस्त देयताएं बेबाक हों।

(2) वर्ष 2019-20 की प्रतिभूति धनराशि जमा एवं सुरक्षित हों।

(3) अनुज्ञापी को इस आशय का रु.10/- के नॉनजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेराइज्ड शपथ पत्र भी देना होगा कि वह वर्ष 2020-21 हेतु निर्धारित समस्त देयताओं को जमा करने हेतु सहमत है तथा अपनी दुकान को वर्ष 2019-20 हेतु अनुमोदित चैहद्दी पर नवीनीकृत कराने को तैयार है। दिनांक 31.12.2019 तक उसकी दुकान पर ली गयी निकासी में सन्निहित राजस्व (प्रतिफल शुल्क और अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क का योग) के मासिक औसत से न्यूनतम 20 प्रतिशत अधिक राजस्व (प्रतिफल शुल्क और अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क का योग) के समतुल्य प्रतिमाह निकासी आगामी 3 माहों में लेना वह सुनिश्चित करेगा। विफलता की दशा में उसका नवीनीकरण निरस्त कर दिया जाये तथा उसकी वर्ष 2019-20 की प्रतिभूति का 50 प्रतिशत एवं वर्ष 2020-21 की नवीनीकरण फीस व लाइसेंस फीस राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाये। प्रतिभूति की जब्ती की दशा में वर्ष 2019-20 हेतु आवश्यक प्रतिभूति की प्रतिपूर्ति करेगा।

नवीनीकरण की प्रक्रिया

(क) सर्वप्रथम संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा न्यूनतम 02 बहुप्रचलित स्थानीय समाचार पत्रों में और जनपद की वेबसाइट पर संक्षिप्त विज्ञप्ति जिसका सामान्य प्रारूप आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित किया जायेगा, प्रकाशित कराकर जनपद की व्यवस्थित दुकानों के अनुज्ञापियों से नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र ऑनलाइन मांगे जायेंगे। विज्ञप्ति में यह अंकित होगा कि दुकानों से संबंधित अन्य आवश्यक विवरण संबंधित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय, जनपद की वेबसाइट, ई-लाटरी/ई-रिन्यूअल पोर्टल एवं विभागीय वेब साइट से प्राप्त किये जा सकते हैं।

(ख) दुकानों के वर्ष 2019-20 के अनुज्ञापियों में से नवीनीकरण हेतु इच्छुक अनुज्ञापी द्वारा नवीनीकरण प्रार्थना पत्र ऑनलाइन प्रस्तुत किया जायेगा, उपरोक्त वर्णित शपथ-पत्र अपलोड किया जायेगा तथा प्रोसेसिंग फीस की धनराशि को ऑनलाइन जमा किया जायेगा। आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से 03 कार्य दिवस के अंदर लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा नवीनीकरण पर निर्णय लेते हुये संबंधित इच्छुक अनुज्ञापी को नवीनीकरण शुल्क तथा दुकान की वर्ष 2020-21 हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस की 50 प्रतिशत धनराशि 03 दिवस के अंदर जमा करने का निर्देश दिया जायेगा। शेष 50 प्रतिशत धनराशि 28 फरवरी, 2020 तक अनुज्ञापी को जमा करना अनिवार्य होगा। प्रतिभूति धनराशि के अंतर की धनराशि अनुज्ञापी द्वारा 25 मार्च, 2020 तक जमा की जा सकेगी।

(ग) अनुज्ञापी द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करने अथवा प्रतिभूति के अंतर की धनराशि समयांतर्गत न जमा करने अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र का पालन न करने पर उसका नवीनीकरण निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसकी वर्ष 2019-20 की प्रतिभूति का 50 प्रतिशत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

एवं वर्ष 2020-21 की नवीनीकरण फीस व बेसिक लाइसेंस फीस राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।

नवीनीकरण से अवशेष दुकानों का व्यवस्थापन ई-लाटरी की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

2.4.5 बीयर की दुकानों की नवीनीकरण फीस:-

वर्ष 2020-21 के लिए नवीनीकरण फीस निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैः-

क्र.सं.	निकाय	वर्ष 2019-20 हेतु नवीनीकरण फीस की निर्धारित दर(रुपये में) प्रति दुकान	वर्ष 2020-21 हेतु नवीनीकरण फीस की निर्धारित दर(रुपये में) प्रति दुकान
1.	नगर निगम क्षेत्र की दुकानों के लिए	65,000	70,000
2.	नगर पालिका क्षेत्र की दुकानों के लिए	55,000	60,000
3.	नगर पंचायत क्षेत्र की दुकानों के लिए	35,000	40,000
4.	ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों के लिए	15,000	20,000

2.4.6 बीयर की प्रतिफल फीस एवं एम.आर.पी.:-

वर्ष 2020-21 हेतु बीयर की प्रतिफल फीस एवं एम.आर.पी. का निर्धारण गत वर्ष की भांति 500 मि.लि. के केन में माइल्ड (5 प्रतिशत वी./वी. या उससे कम अल्कोहल की तीव्रता) एवं स्ट्रांग (5 प्रतिशत वी./वी. तीव्रता से अधिक परन्तु 8 प्रतिशत वी./वी. अल्कोहल की तीव्रता तक) के लिये समान रुप से करते हुये **एम.आर.पी. आगणन सूत्र** निम्नानुसार निर्धारित किया जाता हैः-

यवासवक द्वारा एक्स ब्रिवरी प्राइस (ई.बी.पी.) घोषित करने हेतु निर्धारित एक्स यवासवनी/ बाण्डधारक इकाई/एक्स सी.एस.डी. मूल्य प्रति केन 500 एम.एल.(रु.में) (EBP)	प्रतिफल फीस प्रति केन (500 मि.ली.) (रु.में) (D)	थोक विक्रेता का मार्जिन प्रति केन (500 मि.ली) (रु.में)	फुटकर विक्रेता का मार्जिन प्रति केन (500 मि.ली) (रु.में)	अधिकतम फुटकर मूल्य प्रति केन (500 मि.ली.) MRP (रु.में) जिसे रु.10 के अगले गुणांक तक राउण्ड ऑफ कर अंतर की धनराशि को अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क के रूप में लिया जायेगा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
एक्स ब्रिवरीज प्राइस(ई.बी.पी.)	ई.बी.पी. (E) का 280 प्रतिशत	1.50	13.50	कालम 1+2+3+4 का योग

शेष प्रक्रिया गत वर्ष की भांति रहेगी।

वर्ष 2019-20 में केग में बीयर की आपूर्ति प्राविधानित करते हुये केग की 20, 30 एवं 50 लीटर की धारिताओं को अनुमन्य किया गया है, जिनकी ई.बी.पी. यवासवक द्वारा पृथक से प्रस्तुत की जायेगी जिसके आधार पर उपरोक्तानुसार प्रतिफल शुल्क का आगणन किया जायेगा।

विभिन्न प्रदेशों में ई.बी.पी. में सम्मिलित किये जाने वाले मदों में एकरूपता नहीं है। प्रत्येक प्रदेश में लाइसेंस फीस, बॉटलिंग फीस, आयात फीस, ब्राण्ड पंजीकरण फीस, लेबुल अनुमोदन फीस, परमिट फीस, स्पेशल फीस आदि भिन्न है। अतः ई.बी.पी. का मिलान प्रदेश के निकटवर्ती राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से करने हेतु इनका संज्ञान लिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

स्पेशल फीस एवं टैक ऐण्ड टेस क्रियान्वयन फीस ई.बी.पी. में सम्मिलित होगी।

2.4.7 (1) बीयर के थोक अनुज्ञापन:-

(क) बीयर के थोक अनुज्ञापन (एफ.एल.-2बी) का व्यवस्थापन:-

वर्ष 2020-21 हेतु बीयर के थोक अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन, उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा के थोक विक्रय हेतु अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2002 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार अर्ह आवेदकों के पक्ष में किया जाएगा। बीयर के थोक अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन 2019-20 की भॉति ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा।

(ख) एफ. एल.-2 बी अनुज्ञापनों से अन्य जनपद को बीयर की आपूर्ति हेतु अतिरिक्त लाइसेंस फीसः-

आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिये अन्य जनपद के एफ.एल.-2बी अनुज्ञापी से आपूर्ति के संबंध में 2019-20 में की गयी व्यवस्था को यथावत रखा जाता है।

(2) बीयर के थोक अनुज्ञापनों का नवीनीकरण:-

वर्ष 2019-20 में स्वीकृत बीयर के थोक अनुज्ञापनों का, वर्ष 2019-20 के अनुज्ञापी द्वारा वर्ष 2020-21 की निर्धारित देयताओं और अन्य शर्तो, प्रतिबंधों से सहमति की दशा में वर्ष 2020-21 हेतु नवीनीकरण कराया जा सकेगा। यह नवीनीकरण ऑनलाइन किया जायेगा। इस हेतु वर्ष 2019-20 के बीयर थोक अनुज्ञापी द्वारा आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र एवं संबंधित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र अपलोड करते हुये निर्धारित देयताओं को ऑनलाइन जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

वर्तमान वर्ष 2019-20 में स्वीकृत एफ.एल.-2बी अनुज्ञापनों के अनुज्ञापी यदि इच्छुक हों, तो उनके एफ.एल.-2बी अनुज्ञापन वर्ष 2020-21 के लिये निम्नांकित शर्तो के अधीन नवीनीकृत किये जाएंगेः-

1. अंतिम व्यपगत मास तक की समस्त देयताएं बेबाक हों।
2. वर्ष 2019-20 की प्रतिभूति धनराशि जमा एवं सुरक्षित हो।
3. उसके विरुद्ध कोई गम्भीर अनियमितता वर्ष 2019-20 में न पायी गयी हो।
4. अनुज्ञापी को इस आशय का रु.10/- के नॉनजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेराइज्ड शपथ पत्र भी देना होगा कि वह वर्ष 2020-21 हेतु समस्त देयतायें देने को तैयार है तथा उसके अनुज्ञापन के वर्तमान परिसर, स्थान की चैहद्दी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। थोक अनुज्ञापन के लिये सभी आवश्यक अर्हतायें रखता है। वर्तमान अनुज्ञापन को पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से दिनांक 31 मार्च, 2020 तक संचालित करेगा और कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा, जिससे गम्भीर अनियमितता अथवा अनुज्ञापन निरस्तीकरण की स्थिति उत्पन्न हो। अनुज्ञापन की शर्तों का पालन न करने अथवा शपथ पत्र में उल्लिखित तथ्यों के विपरीत कार्य करने की दशा में उसका नवीनीकरण निरस्त कर दिया जाये तथा उसकी वर्ष 2019-20 की प्रतिभूति का 50 प्रतिशत एवं वर्ष 2020-21 की नवीनीकरण फीस व लाइसेंस फीस राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाये। प्रतिभूति की जब्ती की दशा में वर्ष 2019-20 हेतु आवश्यक प्रतिभूति की प्रतिपूर्ति करेगा।

नवीनीकरण हेतु संबंधित उप आबकारी आयुक्त, प्रभार तथा उसके अनुमोदन हेतु संयुक्त आबकारी आयुक्त, संबंधित जोन को प्राधिकृत किया जाता है।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) बीयर के थोक अनुज्ञापन एफ.एल.-2बी हेतु प्रोसेसिंग फीस, नवीनीकरण फीस, अनुज्ञापन शुल्क एवं प्रतिभूतिः-

वर्ष 2020-21 हेतु भी एफ.एल.-2बी अनुज्ञापन वर्ष 2019-20 की भांति जनपदवार निम्न प्रतिबंधों के साथ स्वीकृत/ नवीनीकृत किये जायेंगे:-

1. वर्ष 2020-21 हेतु रु.1,00,000/- प्रोसेसिंग फीस के रुप में ली जाएगी।

2. नवीनीकरण हेतु आवदेन करते समय नवीनीकरण फीस रु.90,000/- ली जाएगी।

3. वर्ष 2020-21 हेतु एफ.एल.-2बी अनुज्ञापनों हेतु लाइसेंस फीस जनपदवार श्रेणियां रखते हुये निम्नवत् निर्धारित की जाती है:-

क्र.सं.	जनपद का नाम	वर्ष 2020-21 हेतु लाइसेंस फीस प्रति अनुज्ञापन (लाख रुपये में)	वर्ष 2020-21 हेतु प्रतिभूति धनराशि प्रति अनुज्ञापन (लाख रुपये में)
1.	कौशाम्बी, श्रावस्ती, पीलीभीत, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, अम्बेडकरनगर, बहराइच, बलरामपुर, एटा, हाथरस, कन्नौज, औरैया, रामपुर, संभल, शाहजहॉपुर एवं शामली।	4.40	0.44
2.	सोनभद्र, सिद्वार्थनगर, संतरविदासनगर, प्रतापगढ़, फतेहपुर, संतकबीरनगर, अमेठी, हरदोई, कासगंज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, बदायूँ, अमरोहा, बागपत, बांदा, जालौन, ललितपुर।	7.70	0.77
3.	उपरोक्त जनपदों को छोड़कर प्रदेश के शेष जनपद	11.00	1.10

उक्त के अतिरिक्त आवेदक को वैध हैसियत प्रमाण पत्र अथवा अधिकृत आयकर वैलुअर द्वारा निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

शेष शर्तें वर्ष 2019-20 की भांति यथावत रहेंगी।

2.4.8 बीयर से संबंधित अन्य व्यवस्थायें:-

वर्ष 2019-20 में निर्धारित भारत निर्मित बीयर व लैब पर निर्यात/आयात शुल्क को वर्ष 2020-21 में निम्नानुसार यथावत रखा जाता है:-

क्र.सं.	जनपद का नाम	वर्ष 2020-21 हेतु निर्धारित
1.	बीयर व एल.ए.बी. पर निर्यात शुल्क	रु.3.00/- प्रति बल्क लीटर
2.	बीयर, पोर्टर, साइडर, ऐल एवं कम तीव्रता के मादक पेय पर आयात शुल्क	ड्रॉट बीयर पर रु.1.00/-प्रति बल्क लीटर तथा ड्राट बीयर को छोड़कर अन्य बीयर पोर्टर, साइडर, ऐल एवं कम तीव्रता के मादक पेय पर रु.2.00/- प्रति बल्क लीटर

2.4.9 अन्य देशों से आयातित बीयर की परमिट फीस:-

वर्ष 2019-20 में अन्य देशों से आयातित सभी तीव्रता की बीयर के लिये परमिट फीस की दर रु.170/- प्रति लीटर निर्धारित है जिसे वर्ष 2020-21 में यथावत रखा जाता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2.4.10 माइक्रो ब्रिवरी द्वारा उत्पादित बीयर पर प्रतिफल शुल्क की दरः-

प्रदेश में माइक्रो ब्रिवरी की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिये माइक्रो ब्रिवरी द्वारा उत्पादित बीयर पर प्रतिफल शुल्क की दर रु.150/- प्रति ब.ली. को घटाकर रु.60/- प्रति ब.ली. निर्धारित की जाती है।

2.4.11 बाण्ड अनुज्ञापनों, यवासवनियों, एफ.एल.-2डी अनुज्ञापनों पर आगामी वर्ष हेतु अनुमन्य बीयर का अग्रिम भण्डारण किया जाना:-

वर्ष 2020-21 के प्रारम्भिक माहों में बीयर की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु बाण्ड अनुज्ञापनों, यवासवनियों एवं एफ.एल.-2डी अनुज्ञापनों पर वर्ष 2020-21 हेतु अनुमन्य बीयर के अग्रिम भण्डारण की अनुमति दिनांक 15.02.2020 से अनुमन्य होगी।

2.5 मॉडल शॉप्स

2.5.1 आवेदन व प्रोसेसिंग फीसः-

वर्ष 2020-21 हेतु प्रोसेसिंग फीस रु.30,000/- निर्धारित की जाती है।

2.5.2 (1) मॉडल शॉप्स की लाइसेंस फीसः-

वर्ष 2020-21 हेतु मॉडल शॉप्स की लाइसेंस फीस का निर्धारण वर्ष 2019-20 में दुकान की वार्षिक लाइसेंस फीस पर 20 प्रतिशत वृद्धि कर किया जाएगा। इस प्रकार प्राप्त लाइसेंस फीस की धनराशि यदि रु.5,000 के गुणांक में नहीं पायी जाती है, तो उसे बढ़ाकर रु.5,000 के अगले स्तर पर राउण्ड ऑफ करके निर्धारित किया जाएगा। प्रतिबन्ध यह होगा कि उक्त लाइसेंस फीस संबंधित प्रास्थिति, निकाय के लिये नवसृजित **मॉडल** शॉप हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस से कम नहीं होगी।

यदि कोई मॉडल शॉप वर्ष 2019-20 में मध्य सत्र में संचालित या पुनर्व्यवस्थित हुयी है तो वर्ष 2020-21 की लाइसेंस फीस के निर्धारण में उक्त दुकान की वर्ष 2019-20 की संचालन अवधि में देय लाइसेंस फीस के स्थान पर उसकी वार्षिक लाइसेंस फीस का संज्ञान लिया जायेगा।

(2) नवसृजित मॉडल शॉप की लाइसेंस फीसः-

वर्ष 2020-21 हेतु नवसृजित मॉडल शॉप्स की लाइसेंस फीस निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

क्र.सं.	निकाय	लाइसेंस फीस (रूपये में)	प्रतिभूति धनराशि (रूपये में)
1.	नगर निगमों एवं ग्रेटर नोयडा सहित नोयडा के लिये	न्यूनतम रु.55.00 लाख या ऐसे नगर की विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर दुकानों की तत्समय निर्धारित/व्यवस्थित सर्वोच्च लाइसेंस फीस को मिलाकर प्राप्त धनराशि के समतुल्य लाइसेंस फीस, जो अधिक हो।	5.50 लाख
2.	अन्य स्थानों पर स्थित मॉडल शॉप्स के लिये	न्यूनतम रूपये 19.25 लाख या ऐसे नगर की विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर दुकानों की तत्समय निर्धारित/व्यवस्थित सर्वोच्च लाइसेंस फीस को मिलाकर प्राप्त धनराशि के समतुल्य लाइसेंस फीस, जो अधिक हो। प्रतिबंध यह होगा कि ग्रामीण क्षेत्र की नवसृजित मॉडल शॉप के संबंध में 05 कि.मी. की परिधि के अंदर स्थित विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर दुकानों की तत्समय	2.45 लाख

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		निर्धारित/व्यवस्थित सर्वोच्च लाइसेंस फीस को मिलाकर प्राप्त धनराशि, जो अधिक हो, के समतुल्य लाइसेंस फीस निर्धारित की जायेगी।	

उपरोक्त के अतिरिक्त मॉडल शॉप्स पर मदिरा पान की सुविधा अनुमन्य करने के लिये वर्ष 2019-20 हेतु रु.2,00,000 वर्ष या वर्ष के भाग के लिये निर्धारित है। वर्ष 2020-21 के लिये भी उक्त व्यवस्था को यथावत रखा जाता है।

2.5.3 मॉडल शॉप्स का सृजनः-

वर्ष 2020-21 हेतु वर्ष 2019-20 में व्यवस्थित कुल मॉडल शॉप्स की संख्या के 02 प्रतिशत तक मॉडल शॉप्स के सृजन का अधिकार आबकारी आयुक्त, उ.प्र. को दिया जाता है।

वर्ष 2019-20 में यह व्यवस्था निर्धारित है कि जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर वर्ष के दौरान कभी भी मॉडल शॉप्स का सृजन व व्यवस्थापन कराया जा सकता है। इस व्यवस्था को वर्ष 2020-21 हेतु यथावत बनाये रखा जाता है।

2.5.4 मॉडल शॉप्स के अनुज्ञापनों का नवीनीकरण:-

वर्ष 2019-20 की आबकारी नीति में यह व्यवस्था है कि "वर्ष 2019-20 में जिन मॉडल शॉप्स पर वर्ष 2018-19 में विदेशी मदिरा एवं बीयर के हुये उपभोग में सन्निहित प्रतिफल शुल्क और अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क के योग की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक प्रतिफल शुल्क और अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क का योग सन्निहित होगा, उन दुकानों के अनुज्ञापन, तत्समय निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों/देयताओं और अनुज्ञापी की इच्छा पर वर्ष 2020-21 हेतु नवीनीकृत किये जाने का आधार होगा।"

तद्क्रम में वर्ष 2020-21 हेतु ऐसी मॉडल शॉप्स ही नवीनीकरण हेतु अर्ह होंगी जिन पर वर्ष 2019-20 में वर्तमान अनुज्ञापी की संचालन अवधि में माह-दिसम्बर, 2019 तक दुकान पर ली गयी निकासी में सन्निहित प्रतिफल शुल्क और अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क का योग वर्ष 2018-19 की संगत अवधि में दुकान पर ली गयी निकासी में सन्निहित प्रतिफल शुल्क और अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क के योग से 20 प्रतिशत अधिक होगा। प्रतिबंध यह होगा कि यदि वर्ष 2019-20 की अवधि के संगत अवधि वर्ष 2018-19 में न उपलब्ध होकर कम अवधि उपलब्ध होती है तब वर्ष 2018-19 की उपरोक्त कम अवधि में ली गयी निकासी में सन्निहित प्रतिफल शुल्क और अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क के योग से तुलना की जायेगी।

मॉडल शॉप्स को निम्नांकित शर्तों के अधीन नवीनीकृत किया जाएगाः-

(1) अंतिम व्यपगत मास तक की समस्त देयताएं बेबाक हों।

(2) वर्ष 2019-20 की प्रतिभूति धनराशि जमा एवं सुरक्षित हो।

(3) अनुज्ञापी को इस आशय का रु.10/- के नॉनजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेराइज्ड शपथ पत्र भी देना होगा कि वह वर्ष 2020-21 हेतु निर्धारित समस्त देयताओं को जमा करने हेतु सहमत है तथा अपनी दुकान को वर्ष 2019-20 हेतु अनुमोदित चैहद्दी पर नवीनीकृत कराने को तैयार है। उसके द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक अपनी दुकान पर ली गयी निकासी में सन्निहित राजस्व (प्रतिफल शुल्क और अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क का योग) गत वित्तीय वर्ष 2018-19 की संगत अवधि में ली गयी निकासी में सन्निहित राजस्व (प्रतिफल शुल्क और अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क का योग)से 20 प्रतिशत अधिक है। दिनांक 31 मार्च, 2020 तक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

दुकान पर ली जाने वाली निकासी में सन्निहित राजस्व (प्रतिफल शुल्क और अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क का योग), गत वित्तीय वर्ष 2018-19 की संगत अवधि में ली गयी निकासी में सन्निहित राजस्व (प्रतिफल शुल्क और अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क का योग) से 20 प्रतिशत अधिक होगा। विफलता की दशा में उसका नवीनीकरण निरस्त कर दिया जाये तथा उसकी वर्ष 2019-20 की प्रतिभूति धनराशि का 50 प्रतिशत एवं वर्ष 2020-21 की नवीनीकरण फीस व लाइसेंस फीस राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाये। प्रतिभूति धनराशि की जब्ती की दशा में वर्ष 2019-20 हेतु आवश्यक प्रतिभूति धनराशि की प्रतिपूर्ति करेगा।

वर्ष 2019-20 में नवसृजित दुकानों को उनकी लाइसेंस फीस में 20 प्रतिशत की वृद्धि के साथ अनुज्ञापी की इच्छा पर वर्ष 2020-21 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन नवीनीकृत किया जाएगा:-

(1) अंतिम व्यपगत मास तक की समस्त देयताएं बेबाक हों।

(2) वर्ष 2019-20 की प्रतिभूति धनराशि जमा एवं सुरक्षित हो।

(3) अनुज्ञापी को इस आशय का रु.10/- के नॉनजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेराइज्ड शपथ पत्र भी देना होगा कि वह वर्ष 2020-21 हेतु निर्धारित समस्त देयताओं को जमा करने हेतु सहमत है तथा अपनी दुकान को वर्ष 2019-20 हेतु अनुमोदित चैहद्दी पर नवीनीकृत कराने को तैयार है। दिनांक 31.12.2019 तक उसकी दुकान पर ली गयी निकासी में सन्निहित राजस्व (प्रतिफल शुल्क और अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क का योग) के मासिक औसत से न्यूनतम 20 प्रतिशत अधिक राजस्व (प्रतिफल शुल्क और अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क का योग) के समतुल्य प्रतिमाह निकासी आगामी 3 माहों में लेना सुनिश्चित करेगा। विफलता की दशा में उसका नवीनीकरण निरस्त कर दिया जाये तथा उसकी वर्ष 2019-20 की प्रतिभूति का 50 प्रतिशत एवं वर्ष 2020-21 की नवीनीकरण फीस व लाइसेंस फीस राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाये। प्रतिभूति की जब्ती की दशा में वर्ष 2019-20 हेतु आवश्यक प्रतिभूति की प्रतिपूर्ति करेगा।"

नवीनीकरण की प्रक्रिया

(क) सर्वप्रथम संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा न्यूनतम 02 बहुप्रचलित स्थानीय समाचार पत्रों में और जनपद की वेबसाइट पर संक्षिप्त विज्ञप्ति जिसका सामान्य प्रारूप आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित किया जायेगा, प्रकाशित कराकर जनपद की व्यवस्थित दुकानों के अनुज्ञापियों से नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र आनॅलाइन मांगे जायेंगे। विज्ञप्ति में यह अंकित होगा कि दुकानों से संबंधित अन्य आवश्यक विवरण संबंधित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय, जनपद की वेबसाइट, ई-लाटरी/ई-रिन्यूअल पोर्टल एवं विभागीय वेबसाइट से प्राप्त किये जा सकते हैं।

(ख) दुकानों के वर्ष 2019-20 के अनुज्ञापियों में से नवीनीकरण हेतु इच्छुक अनुज्ञापी द्वारा नवीनीकरण प्रार्थना पत्र ऑनलाइन प्रस्तुत किया जायेगा, उपरोक्त वर्णित शपथ-पत्र अपलोड किया जायेगा तथा प्रासेसिंग फीस की धनराशि को ऑनलाइन जमा किया जायेगा। आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से 03 कार्य दिवस के अंदर लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा नवीनीकरण पर निर्णय लेते हुये संबंधित इच्छुक अनुज्ञापी को नवीनीकरण शुल्क तथा दुकान की वर्ष 2020-21 हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस की 50 प्रतिशत धनराशि 03 दिवस के अंदर जमा करने का निर्देश दिया जायेगा। शेष 50 प्रतिशत धनराशि 28 फरवरी 2020 तक अनुज्ञापी को जमा करना अनिवार्य होगा। प्रतिभूति धनराशि के अंतर की धनराशि अनुज्ञापी द्वारा 25 मार्च 2020 तक जमा की जा सकेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(ग) अनुज्ञापी द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करने अथवा प्रतिभूति के अंतर की धनराशि समयांतर्गत न जमा करने अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र का पालन न करने पर उसका नवीनीकरण निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसकी वर्ष 2019-20 की प्रतिभूति का 50 प्रतिशत एवं वर्ष 2020-21 की नवीनीकरण फीस व बेसिक लाइसेंस फीस राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।

नवीनीकरण से अवशेष दुकानों का व्यवस्थापन ई-लाटरी की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

2.5.5 मॉडल शॉप्स की नवीनीकरण फीसः-

वर्ष 2020-21 के लिए नवीनीकरण फीस निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैः-

क्र.सं.	निकाय	**वर्ष 2019-20 हेतु निर्धारित दर प्रति दुकान (रुपये में)**	**वर्ष 2020-21 हेतु निर्धारित दर प्रति दुकान (रुपये में)**
1.	नगर निगम क्षेत्र की दुकानों के लिए	90,000	1,00,000
2.	नगर पालिका क्षेत्र की दुकानों के लिए	80,000	90,000
3.	नगर पंचायत क्षेत्र की दुकानों के लिए	55,000	65,000
4.	ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों के लिए	45,000	50,000

2.6 भांग:-

2.6.1 भांग की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापनः-

भांग की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन वर्ष 2019-20 में निम्न मार्गदर्शक बिन्दुओं के अर्न्तगत ई-लाटरी प्रणाली से किया गया थाः-

(1) भांग दुकानों के संबंध में वर्ष 2018-19 में प्राप्त बोली की धनराशि को संबंधित दुकान की लाइसेंस फीस माना जायेगा।

(2) जिला आबकारी अधिकारी द्वारा जनपद की भांग की दुकानों से प्राप्त कुल बोली की धनराशि को दुकानों पर युक्ति-युक्त ढंग से विभाजित किया जायेगा और इस प्रकार प्रत्येक दुकान की लाइसेंस फीस निर्धारित की जायेगी।

(3) भांग की दुकानों के एम.जी.क्यू. पर ली जाने वाली बेसिक लाइसेंस फीस को अब प्रतिफल शुल्क कहा जायेगा तथा इसकी दर रु.20 प्रति कि.ग्रा. निर्धारित है। किसी भांग की फुटकर दुकान की प्रतिभूति धनराशि उसकी लाइसेंस फीस और कुल प्रतिफल शुल्क के योग के 1/6 के समतुल्य होगी।

(4) ई-लाटरी हेतु अन्य शर्ते एवं प्रतिबंध विदेशी मदिरा दुकानों की ई-लाटरी के समान होंगे।

(5) किसी व्यक्ति को एक जनपद में दो से अधिक भांग की फुटकर दुकानों का अनुज्ञापन स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

वर्ष 2020-21 हेतु भांग की दुकानों के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन प्रथमतः नवीनीकरण के माध्यम से ऑनलाइन प्रक्रिया से कराया जाएगा। भांग दुकानों को निम्नांकित शर्तों के अधीन नवीनीकृत किया जाएगाः-

(1) अंतिम व्यपगत मास तक की समस्त देयताएं बेबाक हों।

(2) वर्ष 2019-20 की प्रतिभूति धनराशि जमा एवं सुरक्षित हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) अनुज्ञापी को इस आशय का रु.10/- के नॉनजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेराइज्ड शपथ पत्र भी देना होगा कि वह वर्ष 2020-21 हेतु निर्धारित समस्त देयताओं को जमा करने हेतु सहमत है तथा अपनी दुकान को वर्ष 2019-20 हेतु अनुमोदित चैहद्दी पर नवीनीकृत कराने को तैयार है। उसके द्वारा माह दिसम्बर-2019 तक का निर्धारित भांग का कोटा उठा लिया गया है तथा वह मार्च-2020 तक निर्धारित भांग का संपूर्ण कोटा उठाना सुनिश्चित करेगा। विफलता की दशा में उसका नवीनीकरण निरस्त कर दिया जाये तथा वर्ष 2020-21 की नवीनीकरण फीस व लाइसेंस फीस राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाये। उसके द्वारा भांग दुकानों के संबंध में समय-समय पर निर्गत आदेशों/नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। भांग के अतिरिक्त अन्य कोई प्रतिबंधित मादक पदार्थ की दुकान से बिक्री नहीं करेगा।

नवीनीकरण से अवशेष दुकानों का व्यवस्थापन ई-लाटरी की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

2.6.2 (1) भांग की दुकानों हेतु प्रोसेसिंग फीसः-

वर्ष 2020-21 हेतु प्रोसेसिंग फीस रु. 6000/-निर्धारित की जाती है।

(2) भांग की दुकानों हेतु नवीनीकरण फीसः-

वर्ष 2020-21 हेतु भांग दुकानों की नवीनीकरण फीस रु.6,000/- प्रति अनुज्ञापन निर्धारित की जाती है।

2.6.3 भांग की निर्यात फीसः-

वर्ष 2019-20 हेतु भांग के निर्यात पर रुपये 5/- प्रति किलोग्राम की दर से निर्यात फीस निर्धारित है। वर्ष 2020-21 हेतु निर्यात फीस यथावत रखी जाती है।

2.6.4 भांग की थोक आपूर्तिः-

वर्ष 2019-20 में भांग की थोक आपूर्ति के संबंध में निम्न व्यवस्था थीः-

भांग की फुटकर दुकानों को भांग की आपूर्ति जनपद के बंधित आबकारी गोदाम से कीजायेगी। इस हेतु भांग दुकान के फुटकर अनुज्ञापी द्वारा निकासी की मात्रा में सन्निहित प्रतिफल शुल्क विभागीय पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा किया जायेगा तथा भांग का क्रय मूल्य थोक आपूर्तक के बैंक खाते में आर.टी.जी.एस. द्वारा जमा किया जायेगा। उपरोक्तानुसार जमा की गयी धनराशियों के प्रमाण सहित मांग पत्र जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, जिसपर जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निर्गमन आदेश निर्गत किया जायेगा। वर्ष 2020-21 में उक्त व्यवस्था को यथावत रखा जाता है।

2.7 अन्यः-

2.7.1 ब्राण्ड पंजीकरण एवं लेबुल अनुमोदन

(क) भारत निर्मित विदेशी मदिरा

वर्ष 2020-21 में ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन को एम.आर.पी. अनुमोदन से पृथक करते हुये, लेबुल के अनुमोदन सहित एक साथ ऑनलाइन कराया जाएगा। एम.आर.पी. का सही अंकन सुनिश्चित करने का दायित्व संबंधित आसवनी, यवासवनी के सहायक आबकारी आयुक्त का होगा। बाण्ड पर इसके लिये संबंधित जिला आबकारी अधिकारी, जहां पर बाण्ड स्थित है, उत्तरदायी होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

(ख) समुद्र पार आयातित मदिराः-

समुद्रपार से आयातित मदिरा/वाइन/बीयर के ब्राण्ड ओनर स्वयं या उसके द्वारा अधिकृत प्रमुख आयातक या अधिकृत किसी अन्य प्रतिनिधि द्वारा ब्राण्ड रजिस्टेशन कराकर बिक्री की जा सकेगी। अन्य देशों से आयातित मदिरा के लेबुल अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी परन्तु एक प्रति मूल रूप में ब्राण्ड रजिस्टेशन के समय प्रस्तुत की जाएगी।

अन्य देशों से आयातित मदिरा की बोतलों पर वर्ष 2019-20 में एम.आर.पी. और अन्य 'लीजेण्ड' मुद्रित करने हेतु निम्न प्रकार व्यवस्था अनुमन्य हैः-

1. आयातित विदेशी मदिरा/बीयर/वाइन/लैब की बोतलों पर न्यूनतम 70 मिलीमीटर×35 मिलीमीटर साइज का सफेद रंग का स्टिकर चस्पा किया जायेगा।

2. उक्त स्टिकर पर सामान्य स्वस्थ आंखों से स्पष्ट पठनीय काले रंग के अक्षरों में अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य (एम.आर.पी.), "Consumption of Liquor is Injurious to Health" तथा आयातक व वितरक का नाम व पूर्ण पता अंकित किया जायेगा।

3. उक्त स्टिकर पर लाल रंग से न्यूनतम 3 मिलीमीटर साइज के अक्षरों में "For Sale in Uttar Pradesh only" विकर्णवत (Diagonally) अंकित किया जायेगा।

उपरोक्त व्यवस्था को वर्ष 2020-21 हेतु यथावत बनाये रखा जाता है।

(ग) वर्ष 2019-20 में भारत निर्मित एवं अन्य देशों से आयातित विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन, कम तीव्रता पेय (एल.ए.बी.) हेतु ब्राण्ड रजिस्टेशन एवं लेबुल अनुमोदन फीस निम्नानुसार हैः-

क्र.सं.		मदिरा का प्रकार	ब्राण्ड रजिस्टेशन फीस (रुपये में)	लेबुल अनुमोदन फीस (रुपये में)
1.		**भारत निर्मित मदिरा**		
	क	विदेशी मदिरा	85,000	65,000
	ख	बीयर	50,000	40,000
	ग	वाइन	7,500	7,500
	घ	एल.ए.बी.	5,000	7,500
2.		**अन्य देशों से आयातित मदिरा**		
	क	विदेशी मदिरा	85,000	लेबुल अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।
	ख	बीयर	50,000	
	ग	वाइन	30,000	
	घ	एल.ए.बी.	30,000	
3.		**अन्य देशों, प्रदेशों को निर्यातित मदिरा**		
	क	विदेशी मदिरा	ब्राण्ड पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है	2,50,000
	ख	बीयर		1,50,000
	ग	एल.ए.बी.		20,000

वर्ष 2020-21 हेतु उपरोक्तानुसार निर्धारित फीस यथावत रखी जाती है। ब्राण्ड एवं लेबुल के नवीनीकरण हेतु भी उपरोक्तानुसार फीस ली जाएगी।

(घ) ब्राण्ड एवं लेबुल का नवीनीकरणः-

यदि किसी ब्राण्ड की किसी धारिता के अनुमोदित लेबुल वर्ष 2019-20 में कोई परिवर्तन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(एम.आर.पी.को छोडकर) प्रस्तावित नहीं है, तब वर्ष 2020-21 हेतु इस ब्राण्ड एवं लेबुल के अनुमोदन का नवीनीकरण, मात्र निर्धारित अनुमोदन फीस तथा लेबुल का नमूना जमा कराकर कराया जा सकेगा। प्रतिबंध यह होगा कि लेबुलों के आकार, रंग, प्रिंटिंग इत्यादि में कोई परिवर्तन न किया गया हो। आंशिक परिवर्तन की दशा में पुनः लेबुल का अनुमोदन कराया जाना अनिवार्य होगा।

(ङ) टेड मार्क पंजीकरण की अनिवार्यताः-

प्रदेश में ब्राण्ड पंजीकरण हेतु उक्त ब्राण्ड का टेडमार्क का पंजीकरण अनिवार्य होगा। टेडमार्क पंजीकरण में लगने वाले समय एवं मदिरा की आपूर्ति सुनिश्चित करने के दृष्टिगत् वर्ष 2020-21 में पंजीकृत होने वाले नये ब्राण्ड का टेडमार्क पंजीकरण अनिवार्य होगा। वर्ष 2020-21 में ब्राण्ड एवं लेबुल के नवीनीकरण हेतु टेडमार्क पंजीकरण अनिवार्य नहीं होगा।

2.7.2 आबकारी दुकानों का व्यवस्थापनः-

(क) आबकारी दुकानों का ई-लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन

आबकारी दुकानों की ई-लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन की वर्ष 2019-20 की व्यवस्था को वर्ष 2020-21 में **निम्न संशोधनों के साथ** रखा जाता हैः-

वर्ष 2020-21 में लाटरी में किसी आवेदक को संपूर्ण उत्तर प्रदेश में देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर एवं मॉडल शॉप को मिलाकर दो से अधिक दुकानें आवंटित नहीं की जाएंगी, प्रतिबंध यह होगा कि यदि किसी को संपूर्ण उत्तर प्रदेश में वर्ष 2019-20 में दो अथवा इससे अधिक दुकानें आवंटित अथवा नवीनीकृत थीं तब उनका वर्ष 2020-21 हेतु नवीनीकरण कराया जा सकता है। अग्रेतर प्रतिबंध यह होगा कि यदि आवेदक द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में दो या दो से अधिक दुकानों का नवीनीकरण करा लिया गया है तो वह अवशेष रिक्त दुकानों के चयन हेतु ई-लाटरी हेतु अर्ह नहीं होगा। ऐसे आवेदक को प्रदेश में कोई अन्य दुकान आवंटित नहीं की जायेगी।

यदि ई-लाटरी के प्रथम चरण में कोई दुकान व्यवस्थित नहीं होती है तब ऐसी दुकान को दो बराबर भागों में विभक्त कर एक नयी दुकान उसी प्रास्थिति में सृजित कर उक्त दोनों दुकानों का व्यवस्थापन पुनः लाटरी के अगले चरण में कराया जायेगा। तृतीय चरण की लाटरी के पश्चात अवशेष कुल अव्यवस्थित एम.जी.क्यू. अथवा लाइसेंस फीस के व्यवस्थापन हेतु जनपद में आवश्यक नयी दुकानों का सृजन कर कुल अव्यवस्थित एम.जी.क्यू. अथवा लाइसेंस फीस को व्यवस्थित कराने हेतु अग्रेतर चरण की लाटरी संपन्न करायी जायेगी।

चयनोपरांत चयनित आवेदक द्वारा देय बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस की सम्पूर्ण धनराशि एवं अन्य देय धनराशियॉ भी ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य होगा। पूर्ण रुपेण देयतायें जमा करने पर धरोहर धनराशि का मूल बैंक ड्राफ्ट अनुज्ञापी को 15 दिन के अन्दर निर्धारित प्रक्रियानुसार वापस कर दिया जाएगा।

ई-लाटरी का प्रत्येक चरण सम्पूर्ण प्रदेश में एक ही दिन कराया जाएगा। ई-लाटरी प्रणाली से दुकानों का व्यवस्थापन गत वर्ष की भॉति एन.आई.सी. के माध्यम से कराया जाएगा। ई-लाटरी से संबंधित सुसंगत सूचना को आबकारी विभाग की वेबसाइट के अतिरिक्त प्रत्येक जिले की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(ख) दुकानों को दैनिक आधार पर चलाया जाना:-

यदि किन्हीं कारणों से कोई दुकान अव्यवस्थित चल रही हो तब वर्ष 2019-20 की भांति ही वर्ष 2020-21 हेतु दैनिक आधार पर आगणित देयताओं पर ऑफर मांग कर व्यवस्थापन कराया जायेगा।

इस निमित्त देशी मदिरा की फुटकर बिकी की दुकानों की दैनिक बेसिक लाइसेन्स फीस एवं लाइसेंस फीस (प्रतिफल फीस) दुकान की निर्धारित वार्षिक बेसिक लाइसेंस फीस एवं लाइसेंस फीस (प्रतिफल फीस) का 1/365 भाग लिया जाएगा तथा विदेशी मदिरा, बीयर एवं मॉडल शॉप्स हेतु दुकान की दैनिक लाइसेंस फीस उनकी वार्षिक लाइसेंस फीस का 1/365 भाग लिया जाएगा।

दैनिक व्यवस्थापन हेतु न्यूनतम 02 बहुप्रचलित स्थानीय समाचार पत्रों में संक्षिप्त विज्ञापन प्रकाशन के साथ-साथ इस विज्ञप्ति को जनपद/विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित कराने के बाद वर्ष 2020-21 के लिये निर्धारित दैनिक लाइसेन्स फीस के सापेक्ष जो भी सर्वोच्च आफर प्राप्त हो, पर कराया जाएगा। दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने पर सार्वजनिक मैनुअल लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा।

दो से अधिक बार दुकानों को दैनिक आधार पर चलाने के लिये आबकारी आयुक्त से अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता को समाप्त किया जाता है। जिलाधिकारी को दो से अधिक बार दुकान का दैनिक व्यवस्थापन करने के लिये अधिकृत किया जाता है। ऐसी स्थिति में मात्र आबकारी आयुक्त को सूचित करना अनिवार्य होगा।

(ग) दुकानों का मध्य सत्र में व्यवस्थापन/पुनर्व्यवस्थापन

दुकानों के मध्य सत्र में पुनर्व्यवस्थापन के संबंध में 2019-20 में लागू व्यवस्था को यथावत रखा जाता है।

(घ) प्रतिभूति की धनराशि/प्रतिभूति की धनराशि के अंतर को जमा किये जाने की प्रक्रिया:-

वर्ष 2019-20 में प्रतिभूति की धनराशि अथवा नवीनीकरण की स्थिति में प्रतिभूति के अंतर की धनराशि को राष्ट्रीय बचत-पत्र, सावधि जमा रसीद और ई-पेमेंट द्वारा जमा करने की व्यवस्था है। राष्ट्रीय बचत-पत्र और सावधि जमा रसीद संबंधित जिला आबकारी अधिकारी को प्लेज्ड हो, के रूप में जमा कराया गया है। पूर्व में नगद जमा की गयी प्रतिभूति तब तक मान्य है जब तक इसकी वापसी न कर दी जाय। आबकारी मुख्यालय पर जमा होने वाली प्रतिभूतियों से संबंधित राष्ट्रीय बचत पत्र एवं सावधि जमा रसीद आबकारी आयुक्त के पक्ष में प्लेज्ड कराये गये हैं। अनुज्ञापन की समाप्ति पर देयताओं के जमा का परीक्षण कर जमा प्रतिभूति धनराशि से कटौती अथवा वापसी, जैसी भी स्थिति हो 90 दिन के अन्दर करना अनिवार्य होगा।

राष्ट्रीय बचतपत्र का विकल्प छोड़ते हुये वर्ष 2020-21 हेतु प्रतिभूति जमा करने की शेष व्यवस्था को यथावत रखा जाता है।

(ङ) अभिलेखों का प्रस्तुतीकरण:-

(1) वर्ष 2020-21 में मदिरा की फुटकर दुकानों के आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ पैन कार्ड, आधार कार्ड, हैसियत प्रमाण पत्र अथवा अधिकृत आयकर वैलुअर द्वारा निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण पत्र तथा आयकर रिटर्न का विवरण दिया जाना अनिवार्य होगा।

(2) देशी मदिरा की दुकान के लिये दुकान की बेसिक लाइसेंस फीस एवं लाइसेंस फीस के योग की धनराशि के 1/6 भाग के समतुल्य तथा विदेशी मदिरा, बीयर और भांग की फुटकर दुकानों

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

तथा मॉडल शॉप्स के लिये दुकान की लाइसेंस फीस की धनराशि के अन्यून धनराशि का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी हैसियत प्रमाण पत्र अथवा अधिकृत आयकर वैलुअर द्वारा निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण-पत्र (मूलरुप में) वांछित होगा तथा चयन होने की दशा में इसे मूल रूप में प्राप्त करने के उपरान्त ही अनुज्ञापन निर्गत किया जाएगा। दिनांक 01.01.2019 के पश्चात निर्गत हैसियत प्रमाण-पत्र मान्य होंगे। यदि हैसियत प्रमाण-पत्र अथवा अधिकृत आयकर वैलुअर द्वारा निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण-पत्र की मूल प्रति किसी अन्य जनपद के आबकारी कार्यालय में जमा है तब इसकी प्रमाणित छाया प्रति, जिसे मूल प्रति प्राप्तकर्ता जिला आबकारी अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जायेगा, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(3) आवेदन पत्र के साथ निर्धारित शपथ-पत्र भी अपलोड करना अनिवार्य होगा।

(4) वर्ष 2020-21 हेतु नवीनीकृत होने वाली दुकानों के संबंध में वर्ष 2019-20 हेतु व्यवस्थापन के दौरान प्रस्तुत किये गये हैसियत प्रमाण-पत्र, वैधता समाप्त न हो तो मान्य होंगे। वैधता समाप्त होने की स्थिति में नया हैसियत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(च) देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर और समुद्रपार आयातित विदेशी मदिरा के थोक अनुज्ञापनों एवं बाण्ड अनुज्ञापनों के नवीनीकरण की प्रक्रियाः-

(1) सर्वप्रथम आबकारी आयुक्त द्वारा न्यूनतम 02 बहुप्रचलित स्थानीय समाचार पत्रों में और वेबसाइट पर सक्षिप्त विज्ञप्ति प्रकाशित कराकर प्रदेश में व्यवस्थित देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर और समुद्रपार आयातित विदेशी मदिरा के थोक अनुज्ञापनों एवं बाण्ड अनुज्ञापनों के अनुज्ञापियों से नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र ऑनलाइन मांगे जायेंगे। विज्ञप्ति में यह अंकित होगा कि उक्त अनुज्ञापनों से संबंधित अन्य आवश्यक विवरण आबकारी आयुक्त कार्यालय, एवं विभागीय पोर्टल से प्राप्त किये जा सकते हैं।

(2) थोक अनुज्ञापनों अथवा बाण्ड अनुज्ञापनों के वर्ष 2019-20 के अनुज्ञापियों में से नवीनीकरण हेतु इच्छुक अनुज्ञापी द्वारा नवीनीकरण प्रार्थना पत्र ऑनलाइन प्रस्तुत किया जायेगा, उपरोक्त वर्णित शपथ-पत्र अपलोड किया जायेगा तथा नवीनीकरण शुल्क की धनराशि को ऑनलाइन जमा किया जायेगा। आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से 07 कार्य दिवस के अंदर लाइसेंसिंग प्राधिकारी अथवा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा नवीनीकरण पर निर्णय लेते हुये संबंधित इच्छुक अनुज्ञापी को संबंधित अनुज्ञापन की वर्ष 2020-21 हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस धनराशि 03 कार्य दिवस के अंदर जमा करने का निर्देश दिया जायेगा। प्रतिभूति धनराशि के अंतर की धनराशि अनुज्ञापी द्वारा 28 फरवरी, 2020 तक जमा की जा सकेगी।

(3) अनुज्ञापी द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करने अथवा प्रतिभूति के अंतर की धनराशि समयांतर्गत न जमा करने अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र का पालन न करने पर उसका नवीनीकरण निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसकी वर्ष 2019-20 की प्रतिभूति का 50 प्रतिशत एवं वर्ष 2020-21 की नवीनीकरण फीस व लाइसेंस फीस राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।

2.7.3 देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर दुकानों एवं मॉडल शॉप्स से बिक्री का समयः-

वर्ष 2019-20 के लिये देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर दुकानों एवं मॉडल शॉप्स के खुलने/बिक्री का समय प्रातः 10:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक है जिसे यथावत् बनाये रखा जाता है।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2.7.4 अवशेष स्टाक का निस्तारणः-

वित्तीय वर्ष 2019-20 की समाप्ति पर प्रत्येक अनुज्ञापन पर उपलब्ध अवशेष स्टाक की मात्रा शून्य किये जाने के क्रम में मदिरा की थोक आपूर्ति करने वाले अनुज्ञापनों पर दिनांक 20.03.2020 तक ही मांग पत्र स्वीकार किये जायेंगे। मदिरा उत्पादक इकाइयों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि माह-मार्च 2020 के अंतिम सप्ताह में उनकी इकाई में वर्ष 2019-20 का स्टाक शून्य हो जाय। उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने के पश्चात भी यदि अनुज्ञापनों पर मदिरा का स्टाक बचता है तब वर्ष 2019-20 की समाप्ति पर जनपदों के विभिन्न अनुज्ञापनों पर दिनांक 31.03.2020 को बिक्री अवधि के पश्चात अवशेष स्टाक की ब्राण्डवार, धारितावार, तीव्रतावार और पैकेजिंगवार घोषणा अनुज्ञापी द्वारा जिला आबकारी अधिकारी/संबंधित प्रभारी सहायक आबकारी आयुक्त के समक्ष दिनांक 01.04.2020 को दोपहर 12:00 बजे तक रु.100/- के नॉनजुडीशियल नोटराइज़्ड स्टाम्प पेपर पर की जायेगी तथा इस अवशेष स्टाक की सूचना जिला आबकारी अधिकारी/संबंधित प्रभारी सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा दिनांक 05.04.2020 तक आयुक्तालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी। उपरोक्तानुसार घोषित अवशेष स्टाक का निस्तारण शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा। घोषित अवशेष स्टाक का भौतिक सत्यापन करने पर घोषित स्टाक से 1 प्रतिशत से अधिक का विचलन (जिसकी अधिकतम सीमा 1 पेटी होगी) पाये जाने पर एवं अवशेष स्टाक के निस्तारण में कोई अनियमितता पाये जाने की स्थिति में लाइसेंस निरस्त कर दिया जायेगा। इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु मदिरा के अवशेष स्टाक का स्टाक रजिस्टर पृथक से बनाया जायेगा जिसका निरीक्षण/अनुश्रवण उसके द्वारा प्रस्तुत इण्डेण्ट और अनुज्ञापी द्वारा किये गये उपभोग के आंकड़ों का मिलान आबकारी निरीक्षक द्वारा किया जायेगा। उपरोक्त अवशेष स्टाक को पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।

वर्ष 2019-20 की समाप्ति पर दिनांक 31.03.2020 को अनुज्ञापनों की संचालन अवधि के पश्चात इन पर उपलब्ध अवशेष मदिरा के स्टाक के निस्तारण के संबंध में निम्नानुसार प्रक्रिया लागू होगीः-

(क) देशी मदिराः-

1. देशी मदिरा की फुटकर दुकानों पर उपलब्ध अवशेष स्टाक को जनपद के थोक अनुज्ञापन पर सुरक्षित रखते हुये इसकी नीलामी की जायेगी।
2. वर्ष 2019-20 में व्यवस्थित देशी मदिरा के थोक अनुज्ञापनों सी.एल.-2 पर उपलब्ध क्यू.आर.कोड युक्त अवशेष स्टाक को वर्ष 2020-21 हेतु व्यवस्थित जनपद के किसी थोक अनुज्ञापन पर सुरक्षित रखते हुये इसकी नीलामी की जायेगी।
3. नीलामी आबकारी आयुक्त की अनुमति से जिला आबकारी अधिकारी द्वारा, प्रभार के उप आबकारी आयुक्त की उपस्थिति में कराया जायेगा। उक्त नीलामी में प्रदेश की पेय मदिरा आसवनियों को ही भाग लेने की अनुमति होगी। इस प्रकार प्राप्त मदिरा का आसवनियों द्वारा नियमानुसार पुनर्आसवन करना अनिवार्य होगा तथा इससे पूर्व स्टाक पर लगे बारकोड व क्यू.आर.कोड को उचाड़कर सुरक्षित रखा जायेगा। इस हेतु गठित समिति द्वारा सत्यापन के उपरांत उचाड़े गये क्यू.आर. कोड को समिति के समक्ष नष्ट किया जायेगा। पुनर्आसवित स्प्रिट का लेखा अलग से संरक्षित किया जायेगा तथा पेय मदिरा के निर्माण में इसका उपयोग किये जाने से पूर्व इसका परीक्षण केन्द्रीय प्रयोगशाला से कराया जाना अनिवार्य होगा। नीलामी से प्राप्त धनराशि को जिला आबकारी अधिकारी

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

द्वारा जनपद के कोषागार में लेखा शीर्षक 8443 प्रतिभूति व अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत जमा किया जायेगा तथा जमा की गयी धनराशि को तत्पश्चात समानुपातिक रूप से संबंधित अनुज्ञापियों को वितरित किया जायेगा। अवशेष देशी मदिरा की नीलामी हेतु इच्छुक आसवक उपलब्ध न होने पर अनुज्ञापियों को कोई मूल्य देय नहीं होगा तथा अवशिष्ट देशी मदिरा को उप आबकारी आयुक्त प्रभार की देख रेख में, जिला आबकारी अधिकारी व स्थानीय उप जिलाधिकारी की संयुक्त समिति द्वारा, वीडियोग्राफी कराते हुये, नष्ट कर दिया जायेगा।

4. देशी मदिरा उत्पादक आसवनियों में उपलब्ध देशी मदिरा के ऐसे अवशेष स्टाक जिस पर बार कोड एवं क्यू.आर. कोड लगे हैं तथा वर्ष 2019-20 का निर्धारित प्रतिफल शुल्क और अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क जमा नहीं हुआ है की री-बाटलिंग सहित वर्ष 2020-21 के बारकोड, क्यू.आर. कोड, लेबुल चस्पा करते हुये वर्ष 2020-21 हेतु निर्धारित प्रतिफल शुल्क तथा अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क के योग की धनराशि जमा कराकर इसकी बिक्री अनुमन्य होगी।

(ख) विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं एल.ए.बी.:-

1. विदेशी मदिरा व बीयर की फुटकर दुकानों एवं मॉडल शॉप्स जिनका वर्ष 2020-21 हेतु नवीनीकरण नहीं हुआ है, पर उपलब्ध अवशेष स्टाक उप आबकारी आयुक्त प्रभार की देख रेख में, जिला आबकारी अधिकारी व स्थानीय उप जिलाधिकारी की संयुक्त समिति द्वारा वीडियोग्राफी कराते हुये, नष्ट कर दिया जायेगा।

2. विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन, एल.ए.बी की थोक दुकानों तथा बाण्ड अनुज्ञापनों जिनका वर्ष 2020-21 हेतु नवीनीकरण नहीं हुआ है, पर उपलब्ध अवशेष स्टाक उप आबकारी आयुक्त प्रभार की देख रेख में, जिला आबकारी अधिकारी व स्थानीय उप जिलाधिकारी की संयुक्त समिति द्वारा वीडियोग्राफी कराते हुये, नष्ट कर दिया जायेगा।

3. वर्ष 2019-20 की समाप्ति के पश्चात बार क्लब अनुज्ञापनों में भारत निर्मित विदेशी मदिरा, बीयर, समुद्रपार आयातित मदिरा के अवशेष स्टाक पर वर्ष 2019-20 के प्रतिफल शुल्क की दरों के 10 प्रतिशत के समतुल्य स्टाक रोल ओवर शुल्क तथा प्रतिफल शुल्क व अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क के योग के अंतर की धनराशि जमा कराकर अवशेष स्टाक का निस्तारण करने हेतु 31.03.2021 तक समय प्रदान किया जायेगा।

4. विदेशी मदिरा थोक (एफ.एल.-2, एफ.एल.-2बी) अनुज्ञापनों पर 31.03.2020 को उपलब्ध अवशेष स्टाक की घोषणा उपरोक्तानुसार की जायेगी। इन अनुज्ञापनों से अवशेष स्टाक के उन्हीं ब्राण्ड्स की बिक्री अनुमन्य होगी जो वर्ष 2020-21 हेतु पंजीकृत होंगे। अनुज्ञापी द्वारा वर्ष 2020-21 में पुनः अनुज्ञापन प्राप्त किये जाने की दशा में, उक्त स्टाक पर वर्ष 2019-20 की एम.आर.पी. का 02 प्रतिशत स्टाक रोलओवर शुल्क तथा वर्ष 2020-21 हेतु निर्धारित प्रतिफल शुल्क व अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क के योग के अंतर की धनराशि निकासी के पूर्व जमा की जायेगी और इसकी दिनांक 31.12.2020 तक निकासी कर दी जायेगी। फुटकर अनुज्ञापियों द्वारा उक्त स्टाक की बिक्री दिनांक 31.03.2021 तक किया जाना अनुमन्य होगा। उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथियों के पश्चात निकासी से अवशेष बचे स्टाक को विनष्ट कर दिया जायेगा। जिन ब्राण्डों का वर्ष 2020-21 में पंजीकरण 30.06.2020 तक नहीं कराया गया होगा, ऐसे ब्राण्डों के स्टाक को निर्माता आसवनी/यवासवनी को

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

वापस किया जा सकेगा अन्यथा विनष्ट कर दिया जायेगा। पुनर्आसवन अथवा विनष्टीकरण की दशा में वर्ष 2019-20 में भुगतानित प्रतिफल शुल्क का कोई समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।

5. बाण्ड अनुज्ञापनों तथा एफ.एल.-2डी पर उपलब्ध अवशेष स्टाक जिस पर बारकोड, क्यू.आर. कोड लगे हैं और ब्राण्ड पंजीकृत हैं, के अनुज्ञापियों द्वारा वर्ष 2020-21 में पुनः अनुज्ञापन प्राप्त किये जाने की दशा में, उक्त स्टाक पर वर्ष 2019-20 की एम.आर.पी. का 02 प्रतिशत स्टाक रोलओवर शुल्क तथा वर्ष 2020-21 हेतु निर्धारित प्रतिफल शुल्क व अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क के योग के अंतर की धनराशि निकासी के पूर्व जमा की जायेगी और इसकी दिनांक 31.12.2020 तक निकासी कर दी जायेगी। उक्त अवशेष स्टाक का निस्तारण जनपद स्तरीय थोक अनुज्ञापनों द्वारा एवं फुटकर अनुज्ञापियों द्वारा उक्त स्टाक की बिक्री दिनांक 31.03.2021 तक किया जाना अनुमन्य होगा। उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथियों के पश्चात निकासी से अवशेष बचे स्टाक को विनष्ट कर दिया जायेगा। उक्त व्यवस्था के अंतर्गत ऐसे बीयर के उपलब्ध अवशेष स्टाक जिसकी शेल्फ लाइफ समाप्त हो चुकी हो, का निस्तारण न करते हुये इसे उप आबकारी आयुक्त प्रभार की देख रेख में, जिला आबकारी अधिकारी व स्थानीय उप जिलाधिकारी की संयुक्त समिति द्वारा, वीडियोग्राफी कराते हुये नष्ट कर दिया जायेगा। जिन ब्राण्डों का वर्ष 2020-21 में पंजीकरण 30.06.2020 तक नहीं कराया गया होगा, ऐसे ब्राण्डों के स्टाक को निर्माता आसवनी/यवासवनी को वापस किया जा सकेगा अन्यथा विनष्ट कर दिया जायेगा। पुनर्आसवन अथवा विनष्टीकरण की दशा में वर्ष 2019-20 में भुगतानित प्रतिफल शुल्क का कोई समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।

6. एफ.एल.-1, एफ.एल.-1ए अनुज्ञापनों पर 31.03.2020 को उपलब्ध अवशेष स्टाक की घोषणा उपरोक्तानुसार की जायेगी। इन अनुज्ञापनों से अवशेष स्टाक के उन्हीं ब्राण्ड्स की बिक्री अनुमन्य होगी जो वर्ष 2020-21 हेतु पंजीकृत होंगे। अनुज्ञापी द्वारा वर्ष 2020-21 में पुनः अनुज्ञापन प्राप्त किये जाने की दशा में, उक्त स्टाक पर वर्ष 2019-20 की एम.आर.पी. का 02 प्रतिशत स्टाक रोलओवर शुल्क तथा वर्ष 2020-21 हेतु निर्धारित प्रतिफल शुल्क व अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क के योग के अंतर की धनराशि निकासी के पूर्व जमा की जायेगी और इसकी दिनांक 31.12.2020 तक निकासी कर दी जायेगी। उक्त अवशेष स्टाक का निस्तारण जनपद स्तरीय थोक अनुज्ञापनों द्वारा एवं फुटकर अनुज्ञापियों द्वारा उक्त स्टाक की बिक्री दिनांक 31.03.2021 तक किया जाना अनुमन्य होगा। उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथियों के पश्चात निकासी से अवशेष बचे स्टाक का पुनर्आसवन कर दिया जायेगा अन्यथा विनष्ट कर दिया जायेगा। अपंजीकृत ब्राण्ड से संबंधित अवशेष स्टाक को संबंधित आसवनी द्वारा पुनर्आसवन अथवा विनष्ट कर दिया जायेगा। पुनर्आसवन अथवा विनष्टीकरण की दशा में वर्ष 2019-20 में भुगतानित प्रतिफल शुल्क का कोई समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।

7. एफ.एल.-2ए, एफ.एल.-9, एफ.एल.-9ए अनुज्ञापनों में विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन, एल.ए.बी. इत्यादि के अवशेष स्टाक पर प्रतिफल शुल्क व अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क के योग का अंतर जमा कराकर इसकी बिक्री दिनांक 31.03.2021 तक प्रत्येक दशा में करते हुये इसका निस्तारण किया जायेगा। उक्त तिथि के पश्चात अविक्रीत अवशेष स्टाक को उप आबकारी आयुक्त प्रभार की देख रेख में जिला आबकारी अधिकारी व स्थानीय उप जिलाधिकारी की संयुक्त समिति द्वारा वीडियोग्राफी कराते हुये नष्ट कर दिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

8. उक्त के अतिरिक्त 2020-21 हेतु नवीनीकृत विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर दुकानों एवं मॉडल शॉप पर उपलब्ध अवशेष स्टाक के निस्तारण के संबंध में निम्नलिखित व्यवस्था लागू की जाती हैः-

(1) वर्ष 2019-20 की समाप्ति के पश्चात् अवशेष जिन ब्राण्डों का रजिस्ट्रेशन वर्ष 2020-21 हेतु होगा उन ब्राण्डों पर प्रतिफल फीस, अभिकर की धनराशि तदनुसार आगणित करने पर यदि प्रतिफल फीस, अभिकर, एम.आर.पी. में कमी होती है तो उक्त स्टाक पर नयी एम.आर.पी. के स्टिकर चस्पा कराकर विक्रय दिनांक 30.03.2021 तक किया जायेगा।

(2) जिन ब्राण्डों का पंजीकरण वर्ष 2020-21 हेतु करा लिया जाता है, उन ब्राण्डों पर प्रतिफल फीस, अभिकर की धनराशि तदनुसार आगणित करने पर यदि प्रतिफल फीस, अभिकर, एम.आर.पी. में वृद्धि होती है तो प्रतिफल फीस एवं अतिरिक्त प्रतिफल फीस के योग के अंतर की धनराशि तथा वर्ष 2019-20 की एम.आर.पी. का 02 प्रतिशत स्टाक रोलओवर शुल्क जमा कराया जायेगा तथा उक्त स्टाक पर नयी एम.आर.पी. के स्टिकर चस्पा कराकर विक्रय दिनांक 30.03.2021 तक किया जायेगा।

(3) जिन ब्राण्डों का पंजीकरण वर्ष 2020-21 हेतु नहीं कराया जाता है, उन ब्राण्डों की प्रतिफल फीस, अभिकर, एम.आर.पी. उनकी वर्ष 2019-20 के लिये घोषित ई.डी.पी., ई.बी.पी. पर वर्ष 2020-21 के नये सूत्र के अनुसार निर्धारित की जायेगी तथा अवशेष स्टाक का निस्तारण दिनांक 30.06.2020 तक निम्नवत् किया जायेगाः

(i) नये सूत्र के अनुसार प्रतिफल फीस, अभिकर का आगणन करने पर यदि प्रतिफल फीस, अभिकर एवं एम.आर.पी. की धनराशि में कमी होती है तो उक्त स्टाक पर नयी एम.आर.पी. के स्टिकर चस्पा कराकर विक्रय किया जायेगा।

(ii) नये सूत्र के अनुसार प्रतिफल फीस, अभिकर का आगणन करने पर यदि प्रतिफल फीस, अभिकर एवं एम.आर.पी. दोनों में वृद्धि होती है तो प्रतिफल फीस व अतिरिक्त प्रतिफल फीस के योग के अंतर की धनराशि तथा वर्ष 2019-20 की एम.आर.पी.का 02 प्रतिशत स्टाक रोलओवर शुल्क जमा कराकर उक्त स्टाक पर नयी एम.आर.पी. के स्टिकर चस्पा कराकर विक्रय किया जायेगा।

(iii) नये सूत्र के अनुसार प्रतिफल फीस, अभिकर का आगणन करने पर यदि प्रतिफल फीस, अभिकर में कमी होती है, किन्तु एम.आर.पी. में वृद्धि होती है, तब वर्ष 2019-20 की एम.आर.पी. का 02 प्रतिशत स्टाक रोलओवर शुल्क जमा कराकर वर्ष 2019-20 की एम.आर.पी. पर ही बिक्री की जायेगी।

(iv) दिनांक 30.06.2020 के पश्चात उपलब्ध अवशेष स्टाक उप आबकारी आयुक्त प्रभार की देख रेख में, जिला आबकारी अधिकारी व स्थानीय उप जिलाधिकारी की संयुक्त समिति द्वारा वीडियोग्राफी कराते हुये, नष्ट कर दिया जायेगा।

उपरिवर्णित स्थितियों के अतिरिक्त उत्पन्न प्रकरणों में निर्णय हेतु आबकारी आयुक्त को प्राधिकृत किया जाता है।

2.7.5 कतिपय नियमावलियों/विज्ञप्तियों में संशोधनः-

वर्ष 2020-21 की नीति के अनुसार यथावश्यकता नई नियमावलियों के सृजन व प्रचलित नियमावलियों/अधिसूचनाओं/विज्ञप्तियों में समुचित संशोधन एवं आबकारी राजस्वहित में विदेशी

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु विदेशी मदिरा बॉटलिंग नियमों में भी यथावश्यक संशोधन किया जाएगा।

(1) देशी मदिरा की बोतलों में भराई हेतु अनुज्ञापनों की व्यवस्था:-

वर्ष 2020-21 में प्रदेश की ऐसी आसवनियों में, जिनकी पेय क्षमता का उपयोग नहीं हो पा रहा है, की अनप्रयुक्त पेय क्षमता के अन्तर्गत, प्रदेश के किसी अन्य आसवक द्वारा देशी मदिरा का उत्पादन एवं बोतल भराई किये जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी। प्रदेश के किसी अन्य आसवक द्वारा देशी मदिरा का उत्पादन एवं बोतल भराई का अनुज्ञापन किसी अन्य आसवनी में प्राप्त किये जाने की स्थिति में विदेशी मदिरा हेतु निर्धारित फ्रैंचाइजी फीस के समतुल्य फ्रैंचाइजी फीस भी ली जाएगी। निर्धारित देयताओं को जमा करने पर देशी मदिरा की बोतलों में भराई हेतु अनुज्ञापनों को स्वीकृत किये जाने तथा इनका 02 वर्ष के लिये नवीनीकरण किये जाने का अधिकार आबकारी आयुक्त को दिया जाता है। देशी मदिरा की बोतलों में भराई के अनुज्ञापनों की व्यवस्था को, विदेशी मदिरा की बोतलों में भराई के अनुज्ञापनों की भांति विनियमित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश देशी मदिरा को बोतलों में भरने की नियमावली, 2019 का प्रख्यापन किया जाएगा। देशी मदिरा को बोतलों में भरने का अनुज्ञापन शुल्क सी.एल.बी.-1 (उत्तर प्रदेश में स्थापित अथवा स्थापित होने वाली आसवनी हेतु) के लिये रु.2 लाख तथा सी.एल.बी.-1ए (उत्तर प्रदेश में अथवा उत्तर प्रदेश के बाहर स्थापित आसवनी को उत्तर प्रदेश में स्थापित किसी अन्य आसवनी में देशी मदिरा की भराई हेतु) के लिये रु.5.00 लाख निर्धारित की जाती है।

(2) जिन शर्तो के अंतर्गत अन्य प्रदेश के बॉटलर को बाण्ड अनुमन्य है, उन शर्तों को पूर्ण करने वाले बॉटलर को प्रदेश में ही एफ.एल.-3ए लाइसेंस लेकर बॉटलिंग करने हेतु अनुमति दी जाएगी।

(3) प्रदेश की चीनी मिलों में शीरा एवं आसवनी टैंकों में अल्कोहल मापने हेतु पुरानी पद्धति के प्रचलित मापक यंत्रों तथा बोतल भराई के उपरांत गणना हेतु उपयुक्त आधुनिक इलेक्ट्रानिक उपकरण लगाये जाएंगे। बॉटलिंग प्लांट में मदिरा के आयतन तथा तीव्रता मापने हेतु मास फ्लोमीटर, राडार आधारित लेवल ट्रांसमीटर, इलेक्ट्रानिक बॉटल काउंटर आदि उपकरणों की व्यवस्था के प्राविधान बॉटलिंग एवं अन्य संगत नियमावली में किये जाएंगे।

(4) उत्तर प्रदेश विकृत स्प्रिट तथा विशिष्टतया विकृत स्प्रिट को कब्जे में रखने के लिये लाइसेंस नियमावली 1976 में अन्य प्रदेशों अथवा देश के बाहर से एस.डी.एस. आयात करने की व्यवस्था की जाएगी।

(5) प्रदेश की कोई भी पेय मदिरा उत्पादक आसवनी अपनी पेय मदिरा उत्पादन क्षमता के अन्तर्गत प्रदेश मे किसी भी आसवनी से (पेय मदिरा उत्पादक, मिश्रित आसवनी तथा औद्योगिक अल्कोहल उत्पादक आसवनी) ई.एन.ए./ग्रेन ई.एन.ए. क्रय कर पेय मदिरा का उत्पादन कर सकती है। किसी भी दशा में पेय मदिरा उत्पादन करने वाली आसवनी अपनी स्वीकृत पेय क्षमता से अधिक पेय मदिरा का उत्पादन नहीं करेगी। बिक्रेता आसवनी द्वारा उत्पादित ई.एन.ए./ग्रेन ई.एन.ए. जिसका प्रयोग स्वयं पेय मदिरा निर्माण में न करके उसका विक्रय किसी पेय मदिरा उत्पादक आसवनी को किया जाता है तो उस मात्रा को बिक्रेता आसवनी की औद्योगिक क्षमता एवं क्रेता आसवनी की पेय क्षमता में जोड़ा जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(6) कतिपय आसवनियों में आसवन कार्य न हो पाने के कारण उनके मानक के अनुरूप न पायी जाने वाली देशी व विदेशी मदिरा के पुनर्आसवन का प्राविधान उत्तर प्रदेश आबकारी (पुनर्आसवन) नियमावली में नहीं किया गया है। अधोमानक देशी व विदेशी मदिरा के पुनर्आसवन से प्राप्त होने वाले अल्कोहल से पुनः मानक के अनुरूप देशी व विदेशी मदिरा के उत्पादन के फलस्वरूप राजस्व की अभिवृद्धि होगी। इसी प्रकार पुरानी तकनीकी पद्धति के स्थान पर नवीन तकनीक आधारित प्लांट/मशीनरी की स्थापना होने के फलस्वरूप नवीन प्लांटों के संचालन से अल्कोहल एवं ई.एन.ए. के निर्माण में अल्प मात्रा में छीजन होने के दृष्टिगत् उक्त नियमावली के संगत नियमों में छीजन की वर्तमान अनुमन्य सीमा की प्रत्येक श्रेणी में 1 प्रतिशत की कमी करते हुये तदनुसार उक्त नियमावली में संशोधन किया जाएगा।

(7) 180 एम.एल. की धारिता से कम धारिता की बोतलों की भराई पर स्पेशल फीस रु.1 प्रति बोतल अथवा अधिकतम रु.48 प्रति केस निर्धारित की जाती है।

(8) वर्ष 2020-21 में समुद्रपार आयातित विदेशी मदिरा की ऐसी बोतलों जिनका अधिकतम खुदरा मूल्य रु.2500/- अथवा अधिक हो, के मोनोकार्टन को ही एक सील्ड पेटी अवधारित करते हुये बोतल एवं सील्ड पेटियों हेतु निर्धारित सुरक्षा कोड चस्पा किये जाने के उपरान्त बिक्री अनुमन्य की जाती है।

(9) ई-लाटरी में व्यवस्थित की जाने वाली देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर दुकानों एवं मॉडल शॉप की संगत नियमावलियों में इस आशय का संशोधन किया जाएगा कि किसी भी आवेदक के पक्ष में सम्पूर्ण प्रदेश में सभी प्रकार की देशी शराब, विदेशी मदिरा, मॉडल शॉप एवं बीयर की पूर्व से अथवा सहआवेदक के साथ व्यवस्थित दुकानों को मिलाकर दो से अधिक दुकान आवंटित नहीं की जायेगी।

2.7.6 टैक एण्ड टैस प्रणाली:-

(1) सम्प्रति उत्पादन से लेकर फुटकर दुकानों तक मदिरा की आपूर्ति ट्रैक एण्ड ट्रैस प्रणाली के अन्तर्गत की जा रही है, परन्तु फुटकर दुकानों से बिक्री को पी.ओ.एस. मशीन से स्कैन कराकर बिक्री कराये जाने तथा विभाग की समस्त प्रक्रियाओं को कम्प्यूटराइज्ड कर इन्टीग्रेटेड एक्साइज़ सप्लाई चेन मैनेजमैंट सिस्टम (IESCMS) के लिये सेवा प्रदाता का चयन करने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में देशी मदिरा/विदेशी मदिरा/बीयर की समस्त फुटकर दुकानों तथा समस्त मॉडल शॉप और भांग की फुटकर दुकानों की जियो फेंसिंग कराया जाना तथा मदिरा की प्रत्येक फुटकर दुकान पर पी.ओ.एस.(प्वाइंट आफ सेल) मशीनों, जिनके द्वारा विक्रीत मदिरा की बोतल के क्यू.आर. कोड को स्कैन करके सूचना अपलोड की जा सकेगी, के माध्यम से ही बिक्री किये जाने को अनिवार्य किया जाता है।

(2) इस निविदा में सेवा प्रदाता का भुगतान रिटेल स्तर पर स्कैन होकर बिक्री की गयी बोतलों की संख्या पर प्रति बोतल दर पर किया जाएगा। सेवा प्रदाता को दी जाने वाली धनराशि एम.आर.पी. में सम्मिलित कर प्रतिफल शुल्क के साथ वसूल की जाएगी। सेवा प्रदाता को दी जाने वाली प्रति बोतल की धनराशि का निर्धारण टेण्डर प्रक्रिया के अंतिमीकरण के पश्चात हो सकेगा। प्रत्येक बोतल पर टैक ऐण्ड टेस फीस के रूप में इस निमित्त आने वाले व्ययभार को मदिरा के मूल्यों में सम्मिलित किये जाने हेतु रु.0.35 का प्राविधान अनन्तिम रूप से किया जाता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

2.7.7 विभाग का सुदृढ़ीकरण:-

उल्लेखनीय है कि राज्य आबकारी द्वारा संग्रहीत किये गये राजस्व पर किये गये व्यय का प्रतिशत अखिल भारतीय स्तर पर प्राप्त औसत से अत्यधिक कम है। यह व्यय प्रतिशत प्रदेश के अन्य राजस्व प्राप्तकर्ता विभागों की तुलना में भी कम है। वर्ष 2018-19 में यह व्यय 1 प्रतिशत से भी कम था तथा 2019-20 में भी 1 प्रतिशत से कम रहने की संभावनायें हैं। अतः राजस्ववर्धन हेतु विभाग को और अधिक संसाधन सुदृढ़ बनाए जाने हेतु निम्नांकित बिन्दुओं पर कार्यवाही की जाएगीः-

(i) प्रत्येक जनपद एवं आसवनी को डिजिटल अल्कोहलोमीटर उपलब्ध कराया जाएगा।

(ii) फील्ड में कार्यरत वाहनों पर जी.पी.एस. सिस्टम लगाकर प्रवर्तन कार्यो का प्रभावी पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जायेगा।

(iii) करापवंचन रोकने के लिये विभाग में रिक्त पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति शीघ्र किया जाना आवश्यक है। आबकारी सिपाहियों के चयन की प्रक्रियाधीन कार्यवाही को शीघ्र पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(iv) विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रशिक्षण कराया जायेगा।

2.7.8 ईज़ आफ डूइंग बिज़नेस:-

(1) समस्त प्रकार के थोक अनुज्ञापन एवं बाण्ड अनुज्ञापनों का ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से नवीनीकरण किया जाएगा।

(2) मदिरा के ब्राण्ड पंजीकरण एवं लेबुल अनुमोदन का ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से नवीनीकरण किया जाएगा।

(3) मदिरा के परिवहन पासों का सत्यापन ऑनलाइन किया जाएगा।

(4) आबकारी राजस्व जमा करने की मैनुअल चालान प्रक्रिया को समाप्त करते हुये राजकोष के माध्यम से भुगतान अनिवार्य किया जाता है।

(5) आबकारी आयुक्त के स्तर से एवं शासन के उच्च स्तर से निस्तारित किए जाने वाले प्रकरणों के निस्तारण का स्तर निम्नानुसार निर्धारित किया जाता हैः-

क्र.सं.	प्रकरण	निस्तारण का वर्तमान स्तर	निस्तारण हेतु निर्धारित स्तर
1.	प्रदेश में स्थित आसवनियों में किये जाने वाले निम्न परिवर्तन/परिवर्धन कार्यों की अनुमति प्रदान किया जानाः- (1) शीरा संचय टैंकों के रिपेयर का कार्य। (2) पाइप लाइनों के रिपेयर का कार्य। (3) आसवनी में स्थापित शीरा संचय एवं एथनॉल संचय टैंकों एवं चीनी मिल में स्थापित शीरा संचय टैंकों को बी एवं सी हैवी में उपयोग हेतु वर्गीकृत किये जाने का कार्य। (4) आसवनी में पूर्व से निर्मित बिल्डिंग में रिपेयर से सम्बन्धित कार्य। (5) अन्य सामान्य मरम्मत कार्य परन्तु ऐसे कार्य सम्मिलित नहीं होंगे जो उत्पादन क्षमता को प्रभावित करते हों।	आबकारी आयुक्त	संबंधित प्रभार के उप आबकारी आयुक्त

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

2.	ड्यूटी पेड एक्सपायर्ड बीयर के स्टाक का विनष्टीकरण	आबकारी आयुक्त	संबंधित प्रभार के उप आबकारी आयुक्त
3.	14-14 दिनों के दैनिक व्यवस्थापन के पश्चात दुकानों के अग्रेतर दैनिक व्यवस्थापन की अनुमति	आबकारी आयुक्त	संबंधित जनपद के जिलाधिकारी
4.	1. एफ.एल.-2डी, बाण्ड, बार अनुज्ञापनों को आयात परिमिट जारी किया जाना 2. ऑकेजनल बार अनुज्ञापन की स्वीकृति	संबंधित जिलाधिकारी	संबंधित जिला आबकारी अधिकारी (3 कार्य दिवस तक जिला आबकारी अधिकारी द्वारा जारी न किये जाने पर संबंधित उप आबकारी आयुक्त प्रभार)
5.	आसवनियों, यवासवनियों की क्षमता वृद्धि तथा आसवनियों की पेय क्षमता वृद्धि	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में गठित समिति	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित समिति जिसमें विशेष सचिव/संयुक्त सचिव, आबकारी विभाग, सदस्य- सचिव के रूप में एवं वित्त विभाग, औद्योगिक विकास विभाग और चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग के अधिकारी जो विशेष सचिव स्तर से अन्यून हों तथा आबकारी आयुक्त समिति के सदस्य होंगे।
6.	एक लाख लीटर से अधिक अल्कोहल प्रतिवर्ष मांग करने वाली एफ.एल.-39, एफ.एल.-40, एफ.एल.-41 एवं एफ.एल.-49 इकाइयों के मामले में निर्णय लिया जाना	शासन	आबकारी आयुक्त
7.	एफ.एल.-3 अनुज्ञापियों को कलरिंग, ब्लेण्डिंग एवं रिडक्शन किये जाने की अनुमति	शासन	आबकारी आयुक्त
8.	देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर, भांग की फुटकर दुकानों और मॉडल शाप का अपने निर्धारित क्षेत्र से अन्यत्र स्थानांतरण	आबकारी आयुक्त	आबकारी आयुक्त एवं मण्डलायुक्त (स्थानांतरण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र के अनुज्ञापियों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये)
9.	सी.एल.-2, एफ.एल.-2, एफ.एल.-2बी, एफ.एल.-2डी अनुज्ञापनों का नवीनीकरण	-	संबंधित प्रभार के उप आबकारी आयुक्त

2.7.9 मुकदमों के त्वरित निस्तारण एवं न्यायालयों में संख्या कम करने के संबंध में:-

विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर दुकानों/मॉडल शाप्स के संबंध में नियमावलियों में यह व्यवस्था है कि अनुज्ञापी को प्रत्येक त्रैमास में गतवर्ष की आलोच्य अवधि में उठायी गयी मात्रा पर सन्निहित राजस्व के बराबर राजस्व के समतुल्य मदिरा/बीयर का उठान करना बाध्यकारी होगा परन्तु इसका उल्लंघन करने पर दण्ड/प्रशमन की व्यवस्था नहीं है। इसी प्रकार निरीक्षण में क्यू.आर. कोड जांच के दौरान एक दुकान की मदिरा दूसरी दुकान पर पायी गयी है। कभीकभी अनुज्ञापी जानबूझकर ऐसा करते हैं, तो कभी-कभी परिवहन के दौरान मानवीय त्रुटि के कारण ऐसा होना संभव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

होता है। ऐसी अवस्था में परिवहन के दौरान या मानवीय त्रुटियों के कारण फुटकर/थोक अनुज्ञापन का निरस्तीकरण उचित विकल्प नहीं है।

अतः इस संबंध में निम्नानुसार न्यूनतम प्रशमन धनराशि निर्धारित की जाती हैः-

क्र.सं.	अनियमितता/उल्लंघन का प्रकार	प्रथम बार (रु. में)	द्वितीय बार (रु. में)	तृतीय बार (रु. में)
1	2	3	4	5
1.	विदेशी मदिरा/बीयर/मॉडल शाप पर प्रत्येक त्रैमास में गतवर्ष की आलोच्य अवधि में उठायी गयी मदिरा की मात्रा पर सन्निहित राजस्व के बराबर राजस्व के समतुल्य मदिरा/बीयर का उठान करना बाध्यकारी है, इसका अनुपालन सुनिश्चित न किये जाने की दशा में	50,000	50,000	निरस्तीकरण की कार्यवाही
2.	एक दुकान हेतु निर्गत मदिरा का दूसरी दुकान पर पाया जाना	25,000	50,000	निरस्तीकरण की कार्यवाही

2.7.10 **<u>वर्ष 2020-21 के लिये अनुमानित राजस्व</u>:-**

क्र.सं.	मद	वर्ष 2019-20 की आबकारी नीति में अंकित अनुमानित राजस्व (करोड़ रु.में)	वर्ष 2019-20 में अनुमानित राजस्व प्राप्ति (करोड़ रु.में)	वर्ष2020-21 में संभावित राजस्व वृद्धि (करोड़ रु.में)	वर्ष2020-21 में कुल अनुमानित राजस्व प्राप्ति (करोड़ रु. में) (कालम 4+5)
1	2	3	4	5	6
1.	**देशी मदिरा**- प्रतिफल फीस, बेसिक लाइसेंस फीस व अन्य प्राप्तियॉं	12421	13600	1950	15550
2.	**विदेशी मदिरा**- प्रतिफल फीस, लाइसेंस फीस व अन्य प्राप्तियॉं	10509	9700	1250	10950
3.	**बीयर**- प्रतिफल फीस,लाइसेंस फीस व अन्य प्राप्तियॉं	5813	3900	650	4550
4.	**अन्य मद**- शीरे पर प्रशासनिक शुल्क, आसवनी, ब्रिवरी की लाइसेंस फीस, आयात-निर्यात फीस, फार्मेसियों से प्राप्तियां एवं भांग की बिडमनी इत्यादि	559	800	175	975
	योग	29302	28000	4025	32025

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

2.7.11 वर्ष के मध्य में आबकारी नीति में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों के निराकरण के संबंध में:-

आबकारी नीति की मा. मंत्रिपरिषद से स्वीकृति के उपरान्त क्रियान्वयन किये जाने पर यदाकदा कतिपय व्यावहारिक कठिनाइयां उत्पन्न होतीं है। इन कठिनाइयों के समाधान एवं प्रक्रिया के सरलीकरण की व्यवस्था के लिए वर्ष 2019-20 हेतु निम्न व्यवस्था निर्धारित है:-

"आबकारी नीति की मा. मंत्रिपरिषद से स्वीकृति के उपरान्त क्रियान्वयन व राजस्व प्राप्ति में यदाकदा आने वाली कठिनाइयों के समाधान निवारण एवं प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु आबकारी नीति में सामयिक, व्यवहारिक, विधिक दृष्टि से किसी परिवर्तन हेतु आबकारी आयुक्त से प्राप्त, संस्तुत प्रकरणों पर गुणावगुण के आधार पर विचार कर संस्तुति करने के लिये अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति जिसमें अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग एवं अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, न्याय विभाग सदस्य तथा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग समिति के सदस्य, संयोजक हैं, को अधिकृत करने तथा समिति की संस्तुति पर मा. आबकारी मंत्री जी के माध्यम से मा. मुख्य मंत्री जी द्वारा निर्णय लिये जाने का प्राविधान है।"

उपरोक्त व्यवस्था में समिति के गठन में आंशिक परिवर्तन के साथ मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में समिति गठित करते हुये वर्ष 2020-21 हेतु भी यह व्यवस्था यथावत रहेगी।

2.7.12 आबकारी नीति के क्रियान्वयन में संभावित जोखिम व आवश्यकतायें:-

(1) इस बात की आशंका रहती है कि कतिपय दुकानें (लगभग 5-10 प्रतिशत) निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा अथवा लाइसेंस फीस पर व्यवस्थित न हो पायें। ऐसी दुकानों के न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा अथवा लाइसेंस फीस में युक्ति-युक्त पूर्वक कमी करने की आवश्यकता पड़ सकती है। नये अनुज्ञापियों को दुकान आवंटित होने की स्थिति में पिछले कई वर्षो से दुकानों को संचालित करने वाले अनुज्ञापियों द्वारा दुकानों के परिसर खाली करने में कठिनाइयां उत्पन्न की जा सकती हैं। अतः नवचयनित अनुज्ञापियों को इस संबंध में प्रशासन स्तर से सहयोग प्रदान किया जाएगा।

(2) वर्ष 2001-02 में नई आबकारी नीति लागू होने के पश्चात से वर्ष 2019-20 तक पूर्व वर्ष की तुलना में वृद्धि की दर 6.6 प्रतिशत ऋणात्मक से लेकर अधिकतम 38.1 प्रतिशत प्राप्त हुयी है। अतः इसकी शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिये तस्करी एवं अभिकर की चोरी रोकने के लिये योजनाबद्ध तरीके से प्रयास किया जाना आवश्यक होगा तथा इस संबंध में पुलिस विभाग का सक्रिय सहयोग एवं विभाग का सुदृढ़ीकरण अपेक्षित होगा।

(3) वर्ष 2019-20 में देशी मदिरा के एम.जी.क्यू., विदेशी मदिरा व बीयर के उपभोग में क्रमशः 10 प्रतिशत, 15 प्रतिशत व 10 प्रतिशत वृद्धि के अनुमान के आधार पर राजस्व प्राप्ति का आगणन किया गया है, जिसके आधार पर वर्ष 2020-21 में रु.32,025 करोड़ की राजस्व प्राप्तियॉ संभावित हैं।

3. कृपया उपरोक्तानुसार निर्धारित राजस्व की प्राप्ति की प्रतिबद्धता के दृष्टिगत कार्ययोजना बनाकर निर्धारित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु सर्वसम्बन्धित अधिकारियों को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें। उपरोक्तानुसार कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु जिन नियमों, अधिसूचनाओं आदि में संशोधन, परिवर्तन, अपमार्जन की कार्यवाही अथवा नये नियम,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

नियमावलियों तथा अधिसूचनाओं का प्रख्यापन, विखण्डन (समाप्त) किया जाना हो, उनका यथा प्रक्रिया समायन्तर्गत प्रख्यापन कराया जाना प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करायें। यदि किन्हीं नियमों, अधिसूचनाओं आदि का संशोधन, परिवर्तन, अपमार्जन शासन स्तर से किया जाना हो, तो तत्सम्बन्धी प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर (हिन्दी व अंग्रेजी) में शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि आगामी कार्यवाही समय से की जा सके। साथ ही उक्तानुसार वांछित संशोधनों का प्रख्यापन समय से सुनिश्चित कराने हेतु कृपया अपने स्तर पर शीघ्रातिशीघ्र गहन समीक्षा भी कर लें ताकि भविष्य में कोई विधिक कठिनाई उत्पन्न न होने पाये।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(संजय आर. भूसरेड्डी)
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक-1

S.No	Item	Qty. (in ml)	Rate per B.L.
	Pricing of C.L. (Spiced) (42.8 % v/v) for the year 2020-21		
		200	**42.8 %v/v**
1	Cost of liquor (11.94/5)	2.39	**11.94**
2	Bottling, Labelling & Capsuling	2.20	
3	Packing charges	0.54	
4	Bar code application	0.15	
5	**Ex Factory price (without duty) -(R1+2+3+4)**	**5.28**	
6	Excise Duty- (Rs 268.69/5)	53.74	**268.69**
7	**Ex Factory price (with duty) - R(5+6)**	**59.02**	
8	Profit @ 10% on the Ex Factory price (without duty and cost of liquor))- R(5)*0.10	0.53	
9	Ex Distillery Price (with duty)-R(7+8)	**59.55**	
10	Freight FOR at CL-2 wholesale Godown -(Rs1.40/5)	0.28	**1.40**
11	**Wholesale Cost Price- (9+10)**	**59.83**	
12	Godown Expenses- (Rs1.50/5)	0.30	**1.50**
13	Wastage (@ 0.25% of ex-distillery price with duty)-R(7*.0025)	0.15	
14	Incidence of wholesale Licence Fee-(Rs1.08/5)	0.22	**1.08**
15	Cost price at Wholesale -R(11+12+13+14)	**60.50**	
16	Profit @ 2.5% of Cost price at wholesale without duty-R(15-6)*0.025	0.17	
17	Interest on duty for one weeks@ 6% -R(15*0.06)(7/365)	0.07	
18	**Optimal Wholesale price R(15+16+17)**	**60.74**	
19	**MWP - R18**	**60.74**	
20	Wholesaler's margin -R(19-11)	0.91	
21	Incidence of Retailer's basic Licence Fee -(Rs35.13/5)	7.03	**35.13**
22	Retailer's profit and expenses -(Rs31.33/5)	6.27	**31.33**
23	Optimum margin for retailer - R(22+21)	**13.30**	
24	Optimum Retail Price -R(23+19)	74.04	
25	Provision for Track and Trace	0.35	
26	Optimum Retail Price with Track and Trace -R(24+25)	**74.39**	
27	**MRP- Ceiling (R26,5)**	**75.00**	
28	**Additional Consideration Fees- R(27-26)**	**0.61**	
29	Retailer's margin- R(24-19)	13.30	
30	Retailer's margin per litre- R27*5	66.50	
31	Retail Price of liquor per ml-(R27/200ML)	0.38	
32	% of Excise revenue in M Retail price-R(28+21+14+6)/27	82.13	
33	Total Duty in Rs. (R6+R28)	**54.35**	
34	**Total Revenue to be Deposited at distillery (R33+R25)**	**54.70**	

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Pricing of C.L. (Spiced) (36.0% v/v) for the year 2020-21			
S.No.	**Item**	**Qty. (in ml)**	**Rate per B.L.**
		200	**36%v/v**
1	Cost of liquor (10.07/5)	2.01	**10.07**
2	Bottling, Labelling & Capsuling	2.20	
3	Packing charges	0.54	
4	Bar code application	0.15	
5	**Ex Factory price (without duty) -(R1+2+3+4)**	**4.90**	
6	Excise Duty- (Rs 226/5)	45.20	**226.00**
7	Ex Factory price (with duty) - R(5+6)	**50.10**	
8	Profit @ 10% on the Ex Factory price (without duty and cost of liquor))- R(5)*0.10	0.49	
9	Ex Distillery Price (with duty)-R(7+8)	**50.59**	
10	Freight FOR at CL-2 wholesale Godown -(Rs1.40/5)	0.28	**1.40**
11	**Wholesale Cost Price- (9+10)**	**50.87**	
12	Godown Expenses- (Rs1.50/5)	0.30	**1.50**
13	Wastage (@ 0.25% of ex-distillery price with duty)- R(7*.0025)	0.12	
14	Incidence of wholesale Licence Fee-(Rs0.91/5)	0.18	**0.91**
15	Cost price at Wholesale -R(11+12+13+14)	**51.47**	
16	Profit @ 2.5% of Cost price at wholesale without duty- R(15-6)*0.025	0.16	
17	Interest on duty for one weeks@ 6% -R(15*0.06)(7/365)	0.06	
18	**Optimal Wholesale price R(15+16+17)**	**51.69**	
19	**MWP - R18**	**51.69**	
20	Wholesaler's margin -R(19-11)	0.82	
21	Incidence of Retailer's basic Licence Fee -(Rs29.55/5)	5.91	**29.55**
22	Retailer's profit and expenses -(Rs 26.35/5)	5.27	**26.35**
23	Optimum margin for retailer - R(22+21)	**11.18**	
24	Optimum Retail Price -R(23+19)	62.87	
25	Provision for Track and Trace	0.35	
26	Optimum Retail Price with Track and Trace -R(24+25)	**63.22**	
27	**MRP- Ceiling (R26,5)**	**65.00**	
28	**Additional Consideration Fees- R(27-26)**	**1.78**	
29	Retailer's margin- R(24-19)	11.18	
30	Retailer's margin per litre- R27*5	55.90	
31	Retail Price of liquor per ml-(R27/200ML)	0.33	
32	% of Excise revenue in M Retail price- R(28+21+14+6)/27	81.65	
33	Total Duty in Rs. (R6+R28)	**46.98**	
34	Total Revenue to be Deposited at distillery (R33+R25)	**47.33**	

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Pricing of C.L. (Spiced/Plain) (25 % v/v) for the year 2020-21			
S.No.	Item	Qty. (in ml)	Rate per B.L.
		200	25 %v/v
1	Cost of liquor (7.05/5)	1.41	**7.05**
2	Bottling, Labelling & Capsuling	2.20	
3	Packing charges	0.54	
4	Bar code application	0.15	
5	Ex Factory price (without duty) -(R1+2+3+4)	**4.30**	
6	Excise Duty- (Rs156.94/5)	31.39	**156.94**
7	Ex Factory price (with duty) - R(5+6)	**35.69**	
8	Profit @ 10% on the Ex Factory price (without duty and cost of liquor))- R(5)*0.10	0.43	
9	**Ex Distillery Price (with duty)-R(7+8)**	**36.12**	
10	Freight FOR at CL-2 wholesale Godown -(Rs1.40/5)	0.28	**1.40**
11	**Wholesale Cost Price- (9+10)**	**36.40**	
12	Godown Expenses- (Rs1.50/5)	0.30	**1.50**
13	Wastage (@ 0.25% of ex-distillery price with duty)- R(7*.0025)	0.09	
14	Incidence of wholesale Licence Fee-(Rs0.63/5)	0.13	**0.63**
15	Cost price at Wholesale -R(11+12+13+14)	**36.92**	
16	Profit @ 2.5% of Cost price at wholesale without duty- R(15-6)*0.025	0.14	
17	Interest on duty for one weeks@ 6% -R(15*0.06)(7/365)	0.04	
18	**Optimal Wholesale price R(15+16+17)**	**37.10**	
19	**MWP - R18**	**37.10**	
20	Wholesaler's margin -R(19-11)	0.70	
21	Incidence of Retailer's basic Licence Fee -(Rs20.52/5)	4.10	**20.52**
22	Retailer's profit and expenses -(Rs18.30/5)	3.66	**18.30**
23	Optimum margin for retailer - R(22+21)	**7.76**	
24	Optimum Retail Price -R(23+19)	44.86	
25	Provision for Track and Trace	0.35	
26	Optimum Retail Price with Track and Trace -R(24+25)	**45.21**	
27	**MRP- Ceiling (R26,5)**	**50.00**	
28	**Additional Consideration Fees- R(27-26)**	**4.79**	
29	Retailer's margin- R(24-19)	7.76	
30	Retailer's margin per litre- R27*5	38.80	
31	Retail Price of liquor per ml-(R27/200ML)	0.25	
32	% of Excise revenue in M Retail price- R(28+21+14+6)/27	80.82	
33	Total Duty in Rs. (R6+R28)	**36.18**	
34	**Total Revenue to be Deposited at distillery (R33+R25)**	**36.53**	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।